अध्याय एक

परिचय : संकल्पनायें, परिभाषायें और क्रियाविधियां

1.0 परिचय

1.0.1 वैज्ञानिक प्रतिचयन पद्धति से समाजार्थिक आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सन् 1950 में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) अपना अड़सठवां दौर 1 जुलाई, 2011 से आरम्भ कर रहा है । यह सर्वेक्षण 30 जून 2012 तक जारी रहेगा ।

1.1 सर्वेक्षण का उद्देश्य :

1.1.1 सामाजिक उपभोग और सम्पन्नता, रहन-सहन का स्तर एवं असमानता तथा श्रम के कारक बाजार एवं लोगों की सक्रीय भागीदारी विभिन्न प्राचलों का आकलन करने के लिए सांख्यिकीय सूचकों का प्रमुख स्रोत होने के नाते यह दोनों विषय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहें हैं । इन दोनों विषयों के लिए सर्वेक्षण साधनों में रा.प्र.स. 27वें दौर (अक्टुबर 1972-जून 1973) में इनके पंचवर्षीय सर्वेक्षण के प्रारंभ से, पिछले कुछ वर्षों में स्थिरता आई है, जबकि अंतिम सर्वेक्षण रा.प्र.स. 66वें दौर में किया गया । इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण साधनों के अद्यतन और परिशोधित करने के लिए विशेषकर, पारिवारिक उपभोक्ता व्यय का निर्धारण करने के लिए वार्षिक दौर, वैकल्पिक मापदंड और आवसरिक प्रणाली अध्ययन भी किये जाते रहे हैं ।

1.1.2 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उद्देश्य : प्रथम रहन-सहन के स्तर का सूचक के रूप में, मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (मा.प्र.व्य.व्यय) सहज और प्राकृतिक रूप दोनों ही रूप में लागू होता है । देश के किसी भी उप-आबादी (कोई क्षेत्र या आबादी समूह) का औसत मा.प्र.व्य.व्यय एक एकल संख्या है जो उस आबादी के रहन-सहन के स्तर को परिभाषित करता है । इसे मा.प्र.उ.व्य के वितरण द्वारा पूरा किया जाता है जो आबादी के विभिन्न भू-भागों के रहन-सहन के स्तर में अन्तर को उजागर करता है । मा.प्र.उ.व्य के वितरण का अधिक विस्तृत विश्लेषण किसी विशेष गरीबी रेखा के संदर्भ में गरीबों के अनुपात और चरम संख्या की जानकारी प्रदान करता है । एक कल्याणकारी राज्य को इसके संसाधनों का क्षेत्रकों, प्रदेशों और समाजार्थिक वर्गों में आबंटित करते समय इन संख्याओं का ख्याल रखना चाहिए । मा.प्र.उ.व्य. के वितरण का प्रयोग असमानता के स्तर की माप, या वह डिग्री जिस पर उपभोक्ता व्यय परिवारों या व्यक्तियों के एक छोटे अनुपात में संकेन्द्रित है, के लिए किया जा सकता है, और इसे किसी पूर्व निधारित गरीबी रेखा या कल्याणकारी मापदण्डों के बिना ही किया जा सकता है ।

यदि समाजवाद 1950 दशक की संकल्पना था, तो पिछले दशक के दौरान नीति-निर्माण की संकल्पना ''समावेशित विकास'' थी । बढ़ते-बढ़ते, सम्मिलित विकास को उस सर्व-महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में देखा जाने लगा है जिस पर हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए, कम से कम निकट भविष्य के लिए । इसमें आश्चर्य नहीं कि रा.प्र.स. के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का प्रयोग विद्वानों द्वारा देश की विकास प्रक्रिया पर केंद्रित एक खोज-बत्ती के रूप में किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि देश का विकास कितना समावेशित रहा है । चुंकि आँकड़ों का एकत्रीकरण केवल उपभोग स्तर पर ही नहीं बल्कि उपभोग की प्रणाली पर भी किया जाता है, अतः उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का एक दूसरा महत्वपूर्ण उपयोगिता भी है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो उपभोक्ता मूल्यों में समान वृद्धि की माप करता है, को निकालने के लिए प्रत्येक पण्य समूह की केवल मूल्य वृद्धि की जानकारी होना ही काफी नहीं है बल्कि विभिन्न पण्य समूहों के बजट हिस्सों (वजन के रूप में प्रयुक्त) को जनना भी आवश्यक है । रा.प्र.स. उ.व्य.सर्वे. द्वारा उल्लिखित बजट हिस्सों का प्रयोग उ.मू. सूचकांको के सरकारी समेकन के लिए मूल्यांकन डायग्राम तैयार करने के लिए लम्बे समय से किया जाता रहा है । रा.प्र.स.उ.व्य.सर्वे. आँकड़ों के अधिक व्यापक प्रयोग की योजना उस मूल्यांकन डायग्राम के लिए की जानी है जिसका प्रयोग एक तीक्ष्ण पण्य वर्गीकरण के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग ग्रामीण और नगरीय उपभोक्ता व्यय सूचकांक तैयार करने में किया जाता है ।

उपभोक्ता व्यय सर्वे. के प्रमुख उपयोगों के अलावे खाद्य (मात्रा) उपभोग आँकड़ों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के पोषण-स्तर तथा उनमें विषमताओं के अध्ययन में किया जाता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न मा.प्र.व्य.व्यय स्तरों पर किसी पण्य के बजट हिस्से का प्रयोग अर्थशास्त्रियों और बाजार सूदकर्ताओं द्वारा मांग लोच (अनुक्रियाशीलता) से आय वृद्धि का निर्धारण के लिए किया जाता है ।

1.1.3 रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण के उद्देश्य : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों का मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार और बेरोजगारी विशिष्टिताओं का आंकलन करना है । श्रम बाजार पर सांख्यिकीय सूचकों की आवश्यकता विभिन्न स्तरों पर सरकार के भीतर और बाहर दोनों ही में योजना, नीति और निर्णय निर्माण के लिए होती है । इन सूचकों का प्रयोग योजना आयोग द्वारा रोजगार कार्यप्रणाली ज्ञात करने में, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा क्षेत्रवार श्रमबल अंश ग्रहण के प्रयोग द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करने में तथा विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा श्रम बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने में किया जाता है । इस परिप्रेक्ष्य में, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रा.प्र.स. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षणों में एकत्रित आंकड़ों का व्यापक रूप से इस्तेमाल राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एनसीईयूएस), 2009 द्वारा किया गया । रा.प्र.स. 68वें दौर में, रोजगार और बेरोजगारी के विभिन्न पहलूओं पर सूचना अनुसूची 10 (रोजगार और बेरोजगारी) में चयनित परिवारों के सभी सदस्यों से एकत्रित की जाएगी ।

श्रम बल पड़ताल के संदर्भ में जो सोचनीय विषय है, वह है श्रमबल को परिभाषित करना और भिन्न-भिन्न आर्थिक कार्यकलापों में श्रम बल की भागीदारी की माप करना । लोगों की कार्यकलाप भागीदारी केवल गतिशील ही नहीं होती, बल्कि बहुआयामी भी होती है; यह क्षेत्र आयु, शिक्षा लिंग, उद्योग और पेशागत श्रेणी के साथ परिवर्तित होती है । श्रम बल के इस पहलुओं को रोजगार और बेरोजगारी पर होने वाले वर्तमान सर्वेक्षण में विस्तृत रूप में एकत्रित किया जाएगा । इस दौर में एकत्रित किए जाने वाले प्रमुख प्रकार की सूचनाओं का संबंध कर्मचारियों के कार्यकलाप स्तर, उद्योग, पेशा और रोजगार से आय के साथ-साथ शिक्षा विवरणों, आदि से होगा । इसके अलावे, यह सर्वेक्षण अनौपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक रोजगार में भी एक अन्तर्दृष्टि प्रदान करेगा । कर्मियों से उद्यम जिनमें वे कार्यरत हैं तथा कर्मचारियों के रोजगार की स्थिति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाएगी । रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों से एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करके श्रम बल भागीदारी बल, कर्मी संख्या अनुपात, बेरोजगारी दर, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार, अनौपचारिक रोजगार, कर्मचारियों की मंजूरी, आदि पर सूचक तैयार किए जाएंगे ।

1.2 सर्वेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

1.0.2 विषय व्याप्ति : रा.प्र.स. का 68वां दौर (जुलाई 2011 - जून 2012) को 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' और 'रोजगार और बेरोजगारी' के सर्वेक्षण के लिए चिह्नित किया गया है । 'पारिवारिक उपभोक्ता व्यय' एवं 'रोजगार और बेरोजगारी' पर होने वाला यह सर्वेक्षण इस श्रृंखला का आठवां पंचवार्षिक सर्वेक्षण होने जा रहा है, पिछला सर्वेक्षण राप्रस के 66वें दौर (2009-2010) में किया गया था । वर्तमान सर्वेक्षण जहाँ तक पुछताछ का विषय, अभिकल्प प्रश्नावली औ प्रतिदर्श आकार का संबंध है वह पंचवर्षीय सर्वेक्षण के समान ही है ।

1.2.1 भौगोलिक व्याप्ति : यह सर्वेक्षण निम्नलिखित को *छोड़कर* सम्पूर्ण भारतीय संघ में किया जायेगा :

(i) नागालैंड के सुदूरवर्ती ग्राम, जो बस मार्ग से 5 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं, और

(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वे ग्राम जो वर्ष भर अगम्य रहते हैं ।

1.2.2 सर्वेक्षण की अवधि एवं कार्य योजना : सर्वेक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी, जो 1 जुलाई 2011 से आरम्भ होकर 30 जून, 2012 को समाप्त होगी । इस दौर की सर्वेक्षण अवधि को चार उप-दौरों में बांटा जाएगा । प्रत्येक उप-दौर तीन-तीन महीने की अवधि का होगा :-

उप-दौर 1	:	जुलाई-सितम्बर 2011
उप-दौर 2	:	अक्तूबर-दिसम्बर 2011
उप-दौर 3	:	जनवरी-मार्च 2012
उप-दौर 4	:	अप्रैल-जून 2012

चारों उप-दौरों में से प्रत्येक को सर्वेक्षण हेतु प्रतिदर्श ग्राम/खंडों (प्र.च.इ.) की समान संख्या आबंटित की जाएगी ताकि सम्पूर्ण सर्वेक्षण अवधि में प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाइयों (प्र.च.इ.यों) की एक समान संख्या का आबंटन सुनिश्चित किया जा सके । इसका प्रयास किया जाए कि प्रत्येक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण उसी उप-दौर में किया जाए, जिसके लिए वह आबंटित है । इस प्रतिबंध को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां की विषम क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए, सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

1.2.3 पूछताछ की अनुसूचियां : इस दौर में, निम्नलिखित अनुसूचियों पर पूछताछ की जायेगी :

अनुसूची 0.0	:	परिवारों की सूची
अनुसूची 1.0	:	उपभोक्ता व्यय
अनुसूची 10	:	रोजगार और बेरोजगारी

यह निर्णय लिया गया है कि इस दौर में अनुसूची 1.0 के दो प्ररूपों यानी अनुसूची प्ररूप 1 और अनुसूची प्ररूप 2 पर पूछताछ की जायेगी । अनुसूची प्ररूप 1 राप्रस 66वें दौर की अनुसूची 1.0 के समान है ।

1.2.4 राज्यों का भाग लेना : इस दौर में सभी राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं सिवाय अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप के । निम्नलिखित तालिका भाग लेने वाले राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के सुमेलन प्रतिरूप को दर्शाती है :

नागालैंड (नगरीय)	:	तीन गुणा
आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर एवं दिल्ली	:	दो गुणा
महाराष्ट्र (नगरीय) एवं केरल	:	डेढ़ गुणा
शेष राज्य/सं.रा. क्षेत्र	:	समान

1.3 खण्ड I की अंतर्वस्तु

1.3.1 इस खंड में चार अध्याय हैं । अध्याय एक, संपूर्ण सर्वेक्षण संकार्य पर दृष्टिपात करने के अतिरिक्त, सर्वेक्षण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों की संकल्पना और परिभाषाओं पर भी चर्चा करता है । यह इस दौर के लिए अपनाये गये प्रतिदर्श अभिकल्प और परिवारों के चयन की क्रियाविधि की विस्तृत व्याख्या भी करता है । अनुसूची 0.0, अनुसूची 1.0 और अनुसूची 10 को भरने के अनुदेश क्रमशः अध्याय दो से चार में दिये गये हैं ।

1.3.2 अनुदेश के साथ ही एक प्रायः पुछे गये प्रश्नों (एफ.ए.क्यु.) की सूची को भी अध्याय दो और चार प्रत्येक के साथ परिशिष्ट के रूप में लगाया गया है ।

1.4 प्रतिदर्श अभिकल्प

1.4.1 प्रतिदर्श अभिकल्प की रूपरेखा : 68वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत बहुचरणीय अभिकल्प अपनाया गया है । प्रथम चरण इकाइयां (प्र.च.इ.) ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2001 जनगणना ग्राम (केरल के मामले में पंचायत वार्ड) और नगरीय क्षेत्र में नगरीय ढांचा सवेक्षण (न.ढा.स.) खण्ड होंगे । दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण इकाइयां (USU) परिवार होंगे । बड़ी प्र.च.इ.यों के मामलों में, अर्थात् खेड़ा समूह(खे.स.)/उप खंड(उ.खं.) गठन योग्य ग्रामों/नगरों/खण्डों में प्रत्येक प्र.च.इ. में से दो खे.स./उ.खंडों का चयन एक मध्यवर्ती चरण होगा ।

1.4.2 प्रथम चरण इकाइयों के लिए प्रतिचयन ढांचा : ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 2001 जनगणना ग्रामों (यहां से ग्राम का अर्थ केरल के लिए पंचायत वार्ड होगा) की सूची प्रतिचयन ढांचें का गठन करेगी । नगरीय क्षेत्र के लिए, नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न.ढा.स.) खण्डों (2007-12) को प्रतिचयन ढांचा माना जाएगा ।

1.4.3 स्तरीकरण : सामान्य तौर पर कहा जाये तो एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक जिले के भीतर दो मूल स्तर गठित किये जायेंगे : (i) ग्रामीण स्तर जिसमें जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र आयेंगे और (ii) नगरीय स्तर जिसमें जिले के सभी नगरीय क्षेत्र आयेंगे । तथापि एक जिले के नगरीय क्षेत्रों के भीतर यदि 2001 जनगणना के अनुसार 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले एक या अधिक शहर हैं तो उनमें से प्रत्येक एक भिन्न मूल स्तर बनायेगा और जिले के शेष नगरीय क्षेत्रों को एक भिन्न मूल स्तर का माना जायेगा ।

1.4.4 उप-स्तरीकरण :

ग्रामीण क्षेत्र r : यदि 'r' एक ग्रामीण स्तर (स्ट्रैटम) के लिए आबंटित प्रतिदर्श आकार है, तो गठित उप-स्तरों की संख्या 'r/4' होगी । ढांचा के अनुसार एक जिले के भीतर ग्रामें को पहले जनसंख्या के बढ़ते क्रम में व्ययस्थित किया जाएगा । उसके बाद उप-स्तर 1 से 'r/4' को इस प्रकार सीमांकित किया जाएगा ताकि प्रत्येक उप-स्तर व्यवस्थित ढांचे के ग्रामों का एक समूह बनाएगा और उनमें कमोबेश समान जनसंख्या होगी ।

नगरीय क्षेत्र : यदि 'u' एक नगरीय स्तर का प्रतिदर्श आकार है, तो 'u/4' संख्या में उप-स्तर गठित किए जायेंगे । यदि u/4 एक से ज्यादा है, तो 2 या उससे अधिक उप-स्तर गठन को लागू करते हुए इसे पहले न.ढा.स. फेज 2007-12 के अनुसार नगर में परिवारों की कुल संख्या के आरोही क्रम में नगरों को व्यवस्थित करके किया जायेगा और फिर प्रत्येक IV एकक के भीर प्रत्येक नगरों और खंडों के IV एककों को उनकी संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करके किया जायेगा । सभी एक स्तर के नगरों/दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर के यू.एफ.एस. खंड के इस व्यवस्थित ढांचे से, 'u/4' संख्या में उप-स्तर इस प्रकार गठित किए जायेंगे कि प्रत्येक उप-स्तर में यू.एफ.एस. 2007-12 के अनुसार कमोबेश समान संख्या में परिवार होंगे ।

1.4.5 कुल प्रतिदर्श आकार (प्र.च.इ.) : अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए 12784 प्र.च.इ. तथा राज्य प्रतिदर्श के लिए 14980 प्र.च.इ. का सर्वेक्षन किया जायेगा । प्रतिदर्श प्र.च.इ. के राज्यवार आबंटन सारणी-1, पृष्ठ क-30 में दी गई है ।

1.4.6 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को कुल प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्यों और सं.रा.क्षे. को जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में प्रतिदर्श प्र.च.इ. की कुल संख्या आबंटित की गई है, ताकि प्रत्येक राज्य/सं.रा.क्षे. को एक न्यूनतम प्रतिदर्श आबंटित हो । ऐसा करते समय क्षेत्र अन्वेषकों की संख्या के रूप में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा गया है ।

1.4.7 ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्शों का आबंटन : राज्य/सं.रा.क्षे. स्तरीय प्रतिदर्श का आबंटन जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय क्षेत्र पर दोगुना भार देते हुए दो क्षेत्रों के बीच इस प्रतिबंध के अधीन किया गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि जैसे बड़े राज्यों के लिए नगरीय प्रतिदर्श आकार ग्रामीण प्रतिदर्श आकार से बड़ा न हो । प्रत्येक राज्य/संराक्षे को अलग-अलग न्यूनतम 16 प्रचइयां (ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग से न्यूनतम 8 प्रत्येक के लिए) आबंटित की गई हैं ।

1.4.8 स्तरों/उप-स्तरों का आबंटन : एक राज्य/सं.रा.क्षे. के प्रत्येक क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्तरों को, जनगणना 2001 के अनुसार स्तर जनसंख्या के अनुपात में, संबंधित प्रतिदर्श आकार आबंटित किये जायेंगे । स्तर तल पर आबंटन को 4 के एक न्यूनतम प्रतिदर्श आकार सहित 4 के एक गुणज पर समायोजित किया जायेगा । प्रत्येक उप-स्तर के लिए आबंटन 4 होगा । चार उप-दौरों के बीच समान संख्या में प्रतिदर्शों का आबंटन किया जायेगा ।

1.4.9 प्र.च.इ.यों का चयन : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, प्रत्येक स्तर/उप-स्तर से, प्रतिदर्श ग्रामों की आवश्यक संख्या का चयन प्रतिस्थापन सहित आकार की आनुपातिक प्रायिकता (PPSWR) द्वारा किया जायेगा, जहां आकार जनगणना 2001 के अनुसार ग्राम की जनसंख्या है ।

नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रत्येक स्तर से प्रचइयों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा ।

चार उप-दौरों में ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रतिदर्शों को दो स्वतंत्र उप-प्रतिदर्श के रूप में और प्रतिदर्शों की समान संख्या में निकाला जायेगा ।

1.4.10 खेड़ा-समूहों/उप-खण्डों का चयन - महत्वपूर्ण कदम

1.4.10.1 प्रचइ की सीमाओं की सही पहचान : क्षेत्र अन्वेषकों का पहला महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदर्श सूची में दिये गये विवरणों के अनुसार प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सही सीमाओं को सुनिश्चित करना । नगरीय प्रतिदर्शों के लिए, प्रत्येक प्रचइ की सीमाओं की पहचान प्रतिदर्श सूची में विनिर्दिष्ट ढ़ांचा संकेत के अनुरूपी मानचित्र के आधार पर की जायेगी (न ढ़ां स की बाद की एक अवधि के लिए खंड का मानचित्र उपलब्ध होने पर भी ऐसा किया जायेगा) ।

1.4.10.2 खेड़ा-समूह/उप-खंड गठन का मापदंड : प्रचइ की सीमाओं की पहचान के बाद, यह देखा जाना है कि क्या सूचीकरण पूरे प्रतिदर्श प्रचइ में किया जायेगा या नहीं । यदि चयित प्र.च.इ. की जनसंख्या 1200 या अधिक पायी जाती है, तो उसे ग्रामीण क्षेत्र में 'खेड़ा-समूहों' और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या को अधिक या कम समान करके 'उप खंडों' की उपयुक्त संख्या (जैसे D) से भाग दिया जायेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है ।

प्रतिदर्श प्र.च.इ. की लगभग वर्तमान जनसंख्या	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/ उप-खंडों की संख्या**
1200 से कम (कोई खे.स./उ.ख. नहीं)	1
1200 से 1799	3
1800 से 2399	4
2400 से 2999	5
3000 से 3599	6
..... इसी प्रकार आगे	

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड (चार जिले देहरादूत (P), नैनीताल (P), हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर) और जम्मू-कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा जिलों और केरल के इडुक्की जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या इस प्रकार होगी :

प्रतिदर्श ग्राम की लगभग वर्तमान जनसंख्या	**गठित किये जाने वाले खे.स. की सं.**
600 से कम (खेड़ा समूह नहीं)	1
600 से 899	3
900 से 1199	4
1200 से 1499	5
.... और इसी प्रकार आगे	

1.4.10.3 खेड़ा-समूह/उप-खंडों का गठन और चयन : यदि प्रतिदर्श प्रचइ में खेड़ा-समूहों/उप-खंडों का गठन किया जाना है, तो ऐसा न्यूनाधिक बराबर जनसंख्या द्वारा किया जाना चाहिए । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/उप-खंड भौतिक सीमा चिह्नों द्वारा स्पष्टतः पहचानने योग्य होने चाहिए ।

एक बड़ी प्र.च.इ. जहां खेड़ा समूह/उप-खंड गठित किये गये हैं, में से दो खेड़ा-समूहों (खे.स.)/उप खण्डों(उ.ख.) का चयन इस प्रकार किया जायेगा - जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशत हिस्से वाले एक खे.स./उ.ख. का चयन हमेशा होगा और उसे खे.स./उ.ख. 1 माना जाएगा; एक और खे.स./उ.ख. का चयन शेष बचे खे.स./उ.खण्डों से सरल यादृच्छिक प्रतिचयन से किया जायेगा एवं उसे खे.स./उ.ख. 2 माना जाएगा । दो चयित खेड़ा समूह/उप खंडों में सूचीकरण एवं चयन स्वतन्त्र रूप से किया जायेगा । बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.याँ प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या 1 मानी जाएगी । यह नोट किया जाए कि यदि एक से अधिक खे.स./उ.ख. की जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा समान हो तो उनमें से एक जिसका सूचीकरण खण्ड 4.2 की अनु. 0.0 में पहले हुआ है उसे खे.स./उ.ख. 1 माना जाएगा ।

1.5 परिवारों का सूचीकरण : खे.स./उप खण्डों अर्थात् सूचीकरण के लिए विचारयोग्य क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात् अगला चरण है सभी परिवारों का सूचीकरण करना (इनमें अस्थायी रूप से तालाबंद पाये जाने वाले भी शामिल होंगे, इनकी अस्थायीत्वता को स्थानीय पूछताछ से सुनिश्चित किया जायेगा) । प्रतिदर्श खे.स./उ.ख. संख्या1 वाले खे.स./उ.ख. को पहले सूचीबद्ध किया जायेगा और खे.स./उ.ख. संख्या 2 वाले को उसके बाद ।

1.6 द्वितीय चरण स्तरों का गठन और परिवारों का आबंटन

1.6.1 रा.प्र.स. 68वें दौर के आंकड़ों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों के लिए **प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र हेतु** दो काट-बिन्दु 'A' और 'B' (रु. में) इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि जनसंख्या का ऊपरी जो 10% 'B' से अधिक मा.प्र.उ.व्य.(MPCE) वाला हो और जनसंख्या का निचला 30% जो 'A' से कम मा.प्र.उ.व्य. वाला हो । प्रत्येक रा.प्र.स. क्षेत्र के लिए A और B के मान अध्याय दो की सारणी 2 में दिये गये हैं ।

1.6.2 चयित प्रचइ/खेड़ा समूह/उप खंड में सूचीबद्ध सभी परिवार अनुसूची 1.0 और अनुसूची 10 दोनों के लिए तीन प्र.च.स्तरों में स्तरीकृत किये जायेंगे । द्वि.च.स्त. की बनावट और तीन अन्वेषण अनुसूचियों नामतः अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 के लिए विभिन्न द्वि.च.स्तरों से सर्वेक्षित किये जाने वाले परिवारों की संख्या इस प्रकार होगी :

द्वि.च.स्त.	द्वि.च.स्तरों की बनावट	परिवारों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगे	
		बगैर खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ.	खे.स./उ.ख. गठन वाली प्र.च.इ. (प्रत्येक खे.स./ उ.ख. के लिए)
ग्रामीण			
द्वि.च.स्त. 1 :	अपेक्षाकृत सम्पन्न परिवार	2	1
द्वि.च.स्त. 2 :	शेष में से, गैर कृषि कार्यकलापों द्वारा प्रमुख अर्जन करने वाले परिवार	4	2
द्वि.च.स्त. 3 :	अन्य परिवार	2	1
नगरीय			
द्वि.च.स्त. 1 :	नगरीय जनसंख्या के ऊपरी 10% मा.प्र.उ.व्य. वाले परिवार (मा.प्र.उ.व्य. > B)	2	1
द्वि.च.स्त. 2 :	नगरीय जनसंख्या के मध्यवर्त्ती 60% मा.प्र.उ.व्य. वाले परिवार (A≤मा.प्र.उ.व्य.≤ B)	4	2
द्वि.च.स्त. 3 :	नगरीय जनसंख्या के निचले 30% मा.प्र.उ.व्य. वाले परिवार	2	1

1.6.3 उपर्युक्त तालिका संबंधित द्वि.च.स्त. में प्रतिदर्श परिवार के आबंटन की योजना प्रदान करती है । फिर भी कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में चयनित प्र.च.इ. में आवश्यक आबंटन के लिए परिवारों की पर्याप्त संख्या न उपलब्ध हो । ऐसी स्थिति में द्वि..च.स्त. के लिए परिवारों के चयन की भरपाई अन्य द्वि.च.स्त. से की जायेगी । इसे विशिष्ट क्रियाविधि के द्वारा किया जायेगा । एक द्वि.च.स्त. में परिवारों की कमी को अन्य द्वि.च.स्त. से पूरा किया जायेगा । भरपाई नियमों के विवरण परिवार सूचीकरण अनुसूची 0.0 का विवरण देने वाले अध्याय दो में उल्लिखित हैं ।

1.7 परिवारों का चयन : प्रत्येक अनुसूची के लिए प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्रतिदर्श परिवारों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा । यदि एक परिवार का चयन एक से अधिक अनुसूचियों के लिए हुआ है, तो उस परिवार से प्राथमिकता क्रम में अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1), अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 में से केवल एक अनुसूची पर पूछताछ की जायेगी और उस स्थिति में दूसरी अनुसूची के लिए परिवार को प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा । यदि एक परिवार का चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के लिए हुआ है तो इसका चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2), और अनुसूची 10 के लिए नहीं किया जायेगा । इसी प्रकार यदि एक परिवार का चयन अनुसूची 1.0 (प्ररूप 1) के लिए नहीं किया गया पर अनुसूची 1.0 (प्ररूप 2) के लिए चयन किया गया है तो इसका चयन अनुसूची 10 के लिए नहीं किया जायेगा ।

1.8 संकल्पनायें एवं परिभाषायें

1.8.0 इस सर्वेक्षण की विभिन्न अनुसूचियों में उपयोग की गई महत्वपूर्ण संकल्पनायें एवं परिभाषायें नीचे दी गई है ।

1.8.1 जनसंख्या व्याप्ति : परिवारों एवं व्यक्तियों को सूचीबद्ध करते समय सर्वेक्षण दायरे में आने वाली जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाना है ।

1. जेल में विचाराधीन कैदी तथा अस्पतालों, नर्सिग होम आदि में भर्ती रोगियों को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जायेगा परंतु, वहां के आवासीय कर्मचारी ऐसी संस्थाओं के सूचीकरण के समय शामिल किये जायेंगे । उपरोक्त कैदी, रोगी आदि अपने पैतृक परिवार के सामान्य सदस्य माने जायेंगे और उनकी गिनती उनके परिवार के साथ ही की जायेगी । सजा भुगत रहे सिद्ध अपराधी इस सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहेंगे ।
2. यायावर जनसंख्या, अर्थात् ऐसे परिवार जिनका कोई सामान्य आवास नहीं है, सूची में शामिल नहीं की जायेगी । परंतु ऐसे व्यक्ति जो खुले स्थान में, सड़क किनारे, पुल आदि के नीचे न्यूनाधिक नियमित रूप से रहते हैं, सूचीबद्ध किये जायेंगे ।

3. विदेशी नागरिक शामिल नहीं किये जायेंगे, न ही उनके घरेलू नौकर शामिल होंगे, यदि वे परिभाषा के अनुसार विदेशी परिवार के सदस्य माने जाते हैं । तथापि, यदि एक विदेशी नागरिक सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए एक भारतीय नागरिक बन गया हो तो उसे शामिल किया जायेगा ।

4. सर्वेक्षण संचालित करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर सैनिक और अर्धसैनिक बल (जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि) की बैरकों में रहने वाले व्यक्तियों को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है । तथापि, उनके आस-पड़ोस और सैन्य-कर्मियों के पारिवारिक क्वार्टरों में रहने वाली असैनिक जनसंख्या सर्वेक्षण क्षेत्र में शामिल होंगी, यद्यपि इसके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ सकती है ।

5. अनाथालय, उद्धार-गृह, आश्रम और आवारा घर इस सर्वेक्षण क्षेत्र से बाहर रहेंगे । तथापि, वृद्ध-गृहों में रहने वाले व्यक्तियों, आश्रम/छात्रावासों में रहनेवाले छात्र और आश्रम के आवासीय कर्मचारी (संन्यासी/संन्यासिनी को छोड़कर) को सूचीबद्ध किया जाय । अनाथालयों के लिए, हालांकि अनाथों का सूचीकरण नहीं करना है परन्तु उनकी देखभाल करने तथा वहीं रहने वालों का सूचीकरण किया जाना है ।

1.8.2 मकान : प्रत्येक संरचना, तम्बू, शरणस्थल आदि एक मकान है भले ही उसका उपयोग किसी रुप में होता हो । इसका उपयोग आवासीय या गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए हो सकता है या यह खाली भी हो सकता है ।

1.8.3 परिवार : व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः साथ रहते हैं और एक ही रसोई में तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं, एक परिवार बनायेगा । इसमें अस्थायी रुप से बाहर गये व्यक्ति शामिल होंगे (अर्थात् वे जिनके परिवार से अनुपस्थित रहने की अवधि 6 महीने से कम की है) परंतु अस्थायी तौर पर आने वाले मुलाकाती और मेहमान (जिनके परिवार में रहने की सम्भावित अवधि 6 महीने से कम है) शामिल नहीं होंगे । यद्यपि एक परिवार की वास्तविक बनावट का निर्धारण परिवार के मुखिया के कथनानुसार ही होगा, तथापि इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियायें मार्गदर्शन के रूप में अपनायी जायेंगी :-

(i) एक होस्टल, मेस, होटल, भोजनालय और वासगृह आदि का प्रत्येक आवासी (आवासीय कर्मचारियों सहित) एक एकल सदस्यीय परिवार का गठन करेगा । तथापि, यदि कुछ व्यक्तियों का एक समूह अपनी आय को एक साथ खर्च करने के लिए मिला लेते हैं, तो वह समूह इकट्ठे एक एकल परिवार माना जायेगा । उदाहरणार्थ, किसी होटल में रहने वाला एक परिवार अपने आप में एक अलग परिवार माना जायेगा ।

(ii) एक परिवार का गठन सुनिश्चित करते समय ''साधारणतः एक ही रसोई में भोजन करने वालों'' की अपेक्षा ''साधारणतः एक साथ रहने वालों'' पर अधिक जोर दिया जायेगा । यदि किसी व्यक्ति का निवास स्थान उसके भोजन करने के स्थान से अलग हो तो वह उस परिवार का सदस्य माना जायेगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है ।

(iii) रिहायशी कर्मचारी, घरेलू नौकर और पेइंग गेस्ट (परन्तु मकान का केवल किराएदार नहीं) को उस परिवार का सदस्य माना जाएगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है, यद्यपि वह उस कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

(iv) यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर सोता है (जैसे जगह की कमी के कारण किसी दुकान या अन्य मकान के किसी कमरे में) पर सामान्यतया अपने परिवार के साथ ही भोजन करता है तो उसे एक सदस्यीय परिवार नहीं माना जाएगा बल्कि उसी परिवार का एक सदस्य माना जायेगा जहां उसके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं ।

(v) यदि किसी परिवार का एक सदस्य (जैसे, परिवार के प्रधान का पुत्र या पुत्री) किसी अन्य जगह रहता हो (जैसे पढ़ाई या किसी अन्य कारणवश छात्रावास में), तो उसे अपने माता-पिता के परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा । उसे एक सदस्यीय परिवार के रुप में सूचीबद्ध किया जायेगा जब वह छात्रावास सूचीबद्ध होता है ।

1.8.4 परिवार का आकार : एक परिवार के सदस्यों की संख्या उसका आकार है ।

1.8.5 परिवार प्ररूप : परिवार प्ररूप का निर्धारण सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान परिवार की आय के स्रोतों के आधार पर किया जाता है । इस उद्देश्य के लिए केवल आर्थिक कार्यकलापों से परिवार की आय (शुद्ध आय और सकल आय नहीं) पर विचार किया जाना है; परन्तु नौकरों और सशुल्क अतिथियों की आय की लेखा में नहीं लिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में, एक परिवार निम्नलिखित छः परिवार प्ररूपों में से एक हो सकता है :

कृषि में स्व-नियोजित (SEA)
गैर-कृषि में स्व-नियोजित (SENA)
नियमित मजदूरी/वेतन
कृषि में आकस्मिक श्रम
गैर-कृषि में आकस्मिक श्रम-अर्जन
अन्य (OTH)

नगरीय क्षेत्रों के लिए, परिवार प्ररूप हैं :

स्व-नियोजित (SE)
नियमित मजदूरी/वेतन अर्जन (RWS)
आकस्मिक श्रम (CL)
अन्य (OTH) ।

1.8.5.1 ग्रामीण क्षेत्र में परिवार प्ररूप निर्धारण करने की क्रियाविधि : इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने वाले प्रमुख परिवारों के प्रकार हैं स्व-नियोजित, नियमित मजदूरी/वेतन अर्जन, आकस्मिक श्रमिक और अन्य स्व-नियोजित और आकस्मिक श्रमिकों के प्रत्येक प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत दो विशिष्ट प्रकार के परिवारों को कृषि कार्यकलाप (रा.औ.व. 2008 के अनुच्छेद ए) और गैर-कृषि कार्यकलाप (अनुच्छेद ए को छोड़कर रा.औ.व. 2008 के अन्य अनुच्छेद) से हुई उनके मुख्य आय के आधार पर विभेद किया जायेगा । परिवार के प्रकार के निर्धारण की क्रियाविधि नीचे दी गई है ।

- एक परिवार जिसका आर्थिक कार्यकलाप से कोई आय नहीं है, को 'अन्य' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा ।

- एक परिवार जिसका प्रमुख आय 'स्व-नियोजन' से है, (अर्थात् स्व-नियोजन से होने वाली आय नियमित मजदूरी/वेतन और आकस्मिक श्रम में से प्रत्येक से होने वाली आय से अधिक है), का प्रमुख परिवार प्रकार 'स्व-नियोजित' होगा ।
- एक परिवार जिसकी प्रमुख आय नियमित मजदूरी/वेतन से है, उसका प्रमुख परिवार प्रकार नियमित मजदूरी/वेतन अर्जन होगा ।
- एक परिवार जिसका प्रमुख आय 'आकस्मिक श्रम' से है, का प्रमुख परिवार प्रकार 'आकस्मिक श्रम' होगा ।
- प्रमुख परिवार प्रकार 'स्व-नियोजित' वाले परिवारों के लिए विशिष्ट परिवार प्रकार कृषि में स्व-नियोजित या गैर-कृषि में स्व-नियोजित का निर्धारण कृषि कार्यकलाप और गैर-कृषि कार्यकलाप से होने वाली मुख्य आय के आधार पर किया जाएगा ।
- प्रमुख परिवार प्रकार 'आकस्मिक श्रम' वाले परिवारों के लिए विशिष्ट परिवार प्रकार कृषि में आकस्मिक श्रम या गैर-कृषि में आकस्मिक श्रम का निर्धारण कृषि कार्यकलाप और गैर-कृषि कार्यकलाप से होने वाली मुख्य आय के आधार पर किया जाएगा ।

यह नोट किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'परिवार प्रकार' और यहां सुझाए गए तरीके को, सरल बनाने के लिए अभी तक रा.प्र.स. में अपनाए जाने वाले तरीकों से संशोधित कर दिया गया है ।

1.8.5.2 नगरीय क्षेत्रों के लिए पारिवारिक आय के चार स्रोतों के अनुरूप विभिन्न नगरीय प्ररूपों पर विचार किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर जहां पांच स्रोतों पर विचार किया गया है । एक नगरीय परिवार को पिछले 365 दिनों के दौरान किए गए आर्थिक कार्यकलापों से प्राप्त आय के मुख्य स्रोत के अनुरूप प्ररूप SE, RWS, CL या OTH दिया जाएगा । एक परिवार जिसे आर्थिक कार्यकलापों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई, को अन्य (O.T.H) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा ।

1.8.6 अवासीय इकाई : यह वह आवास है, जिसका उपयोग एक परिवार अपने रहने के लिए करता है । यह एक पूर्ण संरचना या उसका एक हिस्सा या एक से अधिक संरचनाओं का योग हो सकत है । ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक से अधिक परिवार एक एकल संरचना में निवास करते हैं जैसे वे जो स्वतंत्र फ्लैटों में रहते हैं या एक एकल आवासीय इकाई में साझा रहते हैं । ऐसे मामलों में उतनी ही आवासीय इकाइयां मानी जायेंगी, जितने परिवार उस संरचना में साझा रहते हैं । ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक ही परिवार एक से अधिक संरचनाओं में निवास करता है (अर्थात् बैठने, सोने, खाना पकाने, नहाने आदि के लिए अलग-अलग संरचनायें)। इस मामले में सभी संरचनायें मिलकर एक एकल आवासीय इकाई बनाती हैं । सामान्यतया एक आवासीय इकाई में आवास-कमरा, रसोई, भंडार, स्नानागार, शौचालय, गराज, खुला और बंद बरामदा आदि होते हैं । यदि एक संरचना या उसके एक हिस्से का उपयोग अनन्य रुप से आवासीय उद्देश्य के अलावे किसी अन्य उद्देश्य में किया जाता है या किसी दूसरे परिवार को दे दिया गया हो तो उसे विचारार्थ परिवार की आवासीय इकाई का हिस्सा नहीं माना जायेगा । तथापि यदि एक संरचना के किसी हिस्से का उपयोग आवासीय और गैर-आवासीय दोनों उद्देश्यों में होता है और जब उसका उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए केवल नाममात्र का नहीं होता है तो उसे आवासीय इकाई का हिस्सा माना जायेगा । आवासीय इकाई के अंतर्गत एक परिवार द्वारा उपयोग की जा रही सभी पक्की, अर्ध-पक्की और कच्ची संरचनायें आती हैं । वे परिवार जो न्यूनाधिक पुलों के नीचे, पाइपों में, सीढ़ी के नीचे, सड़क किनारे बनाये गये अस्थायी हल्के कामचलाऊ प्रबंध (जिसे कभी भी हटाया जा सकता है) में रहते हैं, उन्हें बगैर किसी आवास के माना जाता है ।

1.8.7 स्वामित्वाधीन भूमि : भूमि का एक भूखण्ड ''परिवार के स्वामित्वाधीन'' माना जायेगा, यदि वह हस्तांतरण संबंधी अधिकार सहित या अधिकार के बिना स्थायी पैतृक कब्जे में परिवार के एक सदस्य या सदस्यों के अधिकार में है । लम्बे समय के लिए पट्टे पर या अनुबंध के अन्तर्गत ली गई स्वामित्व जैसी कब्जे वाली भूमि भी स्वाधिकृत भूमि मानी जायेगी । अतः किसी भूखण्ड के स्वामित्व के निर्धारण में मूलतः निम्नलिखित संकल्पनायें शामिल हैं :

- परिवार द्वारा स्वाधिकृत भूमि अर्थात् हस्तांतरण संबंधी अधिकार सहित या अधिकार के बिना जिसके स्थायी वंशागतिशील कब्जे का अधिकार परिवार के पास है । उदाहरणार्थ, पट्टेदार, भूमिदार, जेंमन, भूमिस्वामी, रयात, सिथिबन आदि । स्वामी द्वारा कोई भूखंड बिना स्थायी वंशागतिशील कब्जे के अधिकार को खोए किसी को पट्टे पर दिया जा सकता है ।

- विशेष स्थिति में धारित भूमि जैसे कि भूमि धारक के नाम से नहीं है परंतु उसके पास उस जमीन को लम्बे समय तक रखने का अधिकार है (उदाहरणस्वरुप चिरस्थायी पट्टे, पैतृक काश्तकारी और 30 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की लम्बी अवधि के अन्तर्गत पट्टे पर ली गई भूमि), को स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि माना जायेगा । ऐसे राज्यों में जहां पुराने काश्तकारों के पूर्ण स्वामित्व हेतु भूमि सुधार कानून लागू किया गया है, उन्हें भी स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि माना जायेगा, भले ही उन्होंने पूरे मुआवजे का भुगतान नहीं किया हो ।

- कभी-कभी स्थानीय प्रमुख या ग्राम/जिला परिषद से पारंपरिक जनजातीय अधिकारों के अनुसार किसी आदिवासी द्वारा कोई भूमि धारित की गयी रहती है । पुनः किसी पट्टेदार द्वारा कोई भूमि दखल की हुई हो सकती है जिसका स्वामित्वाधिकार समुदाय के पास है । ऐसे दोनों मामलों में, आदिवासी या अन्य व्यक्ति-विशेष (पट्टेदार) को स्वामी माना जायेगा, ऐसे सभी मामलों के लिए यह भूमि धारक की स्वामित्व जैसे कब्जे वाली भूमि मानी जायेगी ।

- प्रायः परिवार द्वारा धारित भूमि का स्वामित्व परिवार के मुखिया के पास होता है, जो एक भिन्न नगर या ग्राम में रहता है और इसकारण वह परिवार का एक सदस्य नहीं होता है । ऐसे मामलों में, उस भूमि को उस परिवार के स्वामित्व में न मानकर उसके द्वारा पट्टे पर ली हुई माना जायेगा ।

1.8.8 धारित भूमि : धारित भूमि के क्षेत्रफल में परिवार द्वारा 'स्वाधिकृत', 'पट्टे पर ली गई' और 'न ही स्वाधिकृत न ही पट्टे पर ली गई' (अर्थात् अतिक्रमणित) भूमि शामिल की जायेगी, पर 'पट्टे पर दी गई', को बाहर रखा जायेगा । ध्यान दें :-

- 'पट्टे' के सम्बन्ध में, भूमि के स्वामी द्वारा पैतृक स्वामित्वाधिकार सुपुर्द किये बिना किसी को किराये पर या निःशुल्क दी गई भूमि 'पट्टे पर दी गई भूमि' मानी जायेगी । 'पट्टे पर ली गई भूमि' उस भूमि को माना जायेगा जिसे परिवार ने बगैर स्थायी या पैतृक स्वामित्वाधिकार के किराये पर या निःशुल्क ले रखी है । पट्टे का अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है ।
- परिवार के कब्जे के अधीन सार्वजनिक/संस्थागत भूमि के एक टुकड़े के लिए, यदि परिवार के पास उस भूमि का मालिकाना हक नहीं है और न ही उसके उपयोग के लिए कोई पट्टे का समझौता, मौखिक या लिखित, है, तो ऐसी भूमि को 'न स्वामित्वाधीन न पट्टे पर ली गई' माना जायेगा । परिवार द्वारा बगैर मालिकाना हक और कब्जे के अधिकार के धारित गैर-सरकारी भूमि (अर्थात् पारिवारिक क्षेत्र द्वारा धारित भूमि) को 'अन्यथा धारित' कोटि में नहीं रखा जायेगा । परिवार द्वारा अधिक्रमणित सभी गैर-सरकारी भूमि 'पट्टे पर ली गई' मानी जायेंगी ।
- भूमि का स्वामी, जो अन्यत्र रहता है (और एक भिन्न परिवार बनाता है) से पारिवारिक सम्बन्ध होने के कारण पारिवारिक सदस्यों द्वारा धारित भूमि भी पट्टे पर ली गई मानी जायेगी । ऐसे स्वामियों (जो अपने पारिवारिक सदस्यों, जिनके कब्जे में भूमि है, से दूर रहते पाये गये) के लिए, वह भूमि मालिकाना हक वाली और पट्टे पर दी हुई के तौर पर दर्ज किया जायेगा ।
- यह ध्यान रखा जाये कि एक खाश परिवार द्वारा धारित, पट्टे पर ली हुई आदि भूमि में परिवार के नौकर या सशुल्क अतिथियों, जिन्हें परिवार का सदस्य माना गया है, द्वारा धारित, पट्टे पर ली हुई आदि भूमि का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया जायेगा । तथापि, दो या अधिक परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वाधिकृत/जोती गई भूमि को संविभाजित करके एक परिवार द्वारा स्वाधिकृत/जोती गई भूमि का निर्धारण किया जायेगा ।
- फ्लैटों वाले एक ब्लॉक में रहने वाले परिवारों द्वारा धारित भूमि की गणना जिस भूमि पर भवन स्थित है उसके क्षेत्रफल को परिवारों के फ्लैटों के आकारों के अनुपात के हिसाब से की जायेगी ।

1.8.9 कृषित भूमि : कृषित भूमि को कृषि वर्ष के दौरान *निवल बोया गया क्षेत्रफल* (क्षेत्र फसलों से बोया गया क्षेत्र और फलोद्यान एवं बगीचा के अंतर्गत क्षेत्र जिन्हें एक कृषि वर्ष में केवल एक बार गिना जायेगा) के रूप में परिभाषित किया गया है । कृषित भूमि 'स्वाधिकृत भूमि' 'पट्टे पर ली गई भूमि' या 'अन्यथा धारित (न स्वाधिकृत न पट्टे पर ली हुई)' में से हो सकती है ।

1.8.10 परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय : पारिवारिक उपभोक्ता व्यय की माप, किसी एक विनिर्दिष्ट अवधि, जिसे संदर्भ अवधि कहा जाता है, के दौरान एक परिवार द्वारा घरेलू खाते में किये गये व्यय के रुप में की जाती है । इसमें उन वस्तुओं और सेवाओं का आरोपित मूल्य भी शामिल होता है, जिन्हें उपभोग के लिए खरीदा नहीं गया है बल्कि किसी दूसरे ढ़ंग से प्राप्त किया गया है । दूसरे शब्दों में, यह परिवार द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान घरेलू खाते में उपभुक्त सभी मदों (अर्थात् वस्तु और सेवाओं) के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होता है । स्वामी के कब्जे वाले मकानों का आरोपित किराया उपभोक्ता व्यय से घटा दिया जाता है । परिवार के उत्पादक उद्यमों पर किये गये एक व्यय को भी परिवारिक उपभोक्ता व्यय से घटा दिया जाता है । 30 दिनों की एक अवधि की पारिवारिक उपभोक्ता व्यय को परिवार के आकार से भाग देकर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (मा प्र व्य व्य) प्राप्त किया जाता है ।

1.8.11 आर्थिक कार्यकलाप : मानव के कार्यकलापों को दो कोटियों में रखा जा सकता है :- आर्थिक कार्यकलाप और गैर-आर्थिक कार्यकलाप । कोई कार्यकलाप, जिससे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय उत्पाद में अभिवृद्धि करते हैं, आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है । आर्थिक कार्यकलाप के दो भाग हैं -- बाजारी कार्यकलाप और गैर-बाजारी कार्यकलाप । बाजारी कार्यकलाप वह है जिसमें कार्यकलाप करने वाले के लिए पारिश्रमिक शामिल होता है अर्थात् वेतन या लाभ के लिए किया गया कार्यकलाप । ऐसे कार्यकलापों में, बाजार के लिए किये गये सभी वस्तुओं और सेवाओं, सरकारी सेवाओं आदि सहितें, के उत्पादन शामिल हैं । गैर-बाजारी कार्यकलाप में, स्व-उपभोग के लिए मूल-पण्यों का उत्पादन और अचल परिसम्पत्तियों के स्व-कार्यरत उत्पादन शामिल हैं ।

1.8.11.1 आर्थिक कार्यकलापों के सम्पूर्ण वर्णक्रम को, जैसा कि राष्ट्रीय लेखा की संयुक्त राष्ट्र पद्धति में परिभाषित किया गया है, रा.प्र.स.सं. के रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षणों में अपनायी गई परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है । राष्ट्रीय लेखा की संयुक्त-राष्ट्र पद्धति के अनुसार स्वयं के उपभोग के लिए किया गया कोई उत्पादन आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है परंतु रा प्र स सं के अनुसार स्वयं के उपभोग के लिए किया गया केवल प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को ही आर्थिक कार्यकलाप माना जाता है । उपरोक्त पहली पद्धति में अन्य चीजों के साथ मूल उत्पादों के स्व-कार्यरत संसाधन जैसे कार्यकलाप शामिल हैं जबकि रा.प्र.स. सर्वेक्षणों में, स्व-उपभोग के लिए मूल-उत्पादों के किये गये संसाधन को आर्थिक कार्यकलाप नहीं माना जाता है । तथापि, इसका ध्यान रखा जाए कि 'स्वयं के उपभोग के लिए कृषि वस्तुओं का उत्पादन' के अधीन स्वयं के उपभाग के लिए सभी कार्यकलाप उत्पाद की कुटाई और भंडारण चरणों तक और उनके सहित रा.प्र.स.सं. के आर्थिक कार्यकलापों के दायरे के अधीन आते है ।

1.8.11.2 इस दौर में, रा.प्र.स.सं. के रोजगारी और बेरोजगारी सर्वेक्षण में 'आर्थिक कार्यकलाप' के अंतर्गत निम्नलिखित आयेंगे :

(i) ऊपर वर्णित सभी बाजारी कार्यकलाप, आर्थात् वेतन और लाभ के लिए किये गये कार्यकलाप, जिनके फलस्वरुप विनिमय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है;

(ii) गैर-बाजारी कार्यकलाप, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्राथमिक क्षेत्र (अर्थात् **रा.औ.व. 2008 के उद्योग प्रभाग 01 से 09**) से सम्बंधित सभी कार्यकलाप जिनसे स्वयं के उपभोग के लिए, अनाजों की पिटाई और भंडारण सहित प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन (न उगाई गई फसलों का मुफ्त संग्रह, वानिकी, जलाऊ लकड़ी एकत्र करना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि सहित) प्राप्त होते हैं; और

(ख) अचल परिसम्पत्तियों के स्वकार्यरत उत्पादन से सम्बंधित कार्यकलाप । अचल परिसम्पत्तियों के उत्पादन में अपना गृह, सड़क, कुआँ आदि का निर्माण तथा पारिवारिक उद्यम के लिए मशीनें, औजार आदि और किसी निजी या सामुदायिक सुविधा का निःशुल्क निर्माण भी शामिल हैं । एक व्यक्ति स्व-कार्यरत निर्माण में या तो एक मजदूर या एक पर्यवेक्षक के रुप में लगा हुआ हो सकता है ।

1.8.11.3 एक व्यक्ति के कार्यकलाप स्तर को इसका ध्यान रखे बिना निश्चित किया जायेगा कि किया गया कार्यकलाप तस्करी के रुप में गैर-कानूनी ढंग से किया गया है या नहीं । यद्यपि, पूर्व के दौरों की तरह ही वेश्यावृत्ति, भीख मांगना आदि कार्यकलापों को परम्परानुसार आर्थिक कार्यकलाप नहीं माना जायेगा, भले ही उनसे अर्जन प्राप्त होता हो ।

1.8.12 कार्यकलाप स्तर : यह कार्यकलाप की वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक और गैर-आर्थिक कार्यकलाप में लगा हुआ पाया जाता है । इसके अनुसार एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी एक में या उनके सम्मिश्रण में लगा हुआ होगा :

(i) आर्थिक कार्यकलाप (कार्य) में कार्यरत है या कार्यरत रहा है ।
(ii) आर्थिक कार्यकलाप (कार्य) से जुड़ा नहीं रहा पर या तो ''काम'' प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है या ''कार्य'' मिलने पर करने को तैयार है । **और**
(iii) किसी कार्यकलाप (कार्य) से जुड़ा नहीं रहा और न ही ''कार्य'' के लिए उपलब्ध है ।

ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित कार्यकलाप स्तरें ''श्रमिक बल में रहने'' से संबंधित हैं और (iii) का संबंध ''श्रमिक बल में नहीं रहने'' से है । श्रमिक बल कार्यकलाप स्तरों में से उपरोक्त (i) "रोजगार" से और (ii) "बेरोजगारी" से सम्बद्ध है । तीन प्रधान कार्यकलाप स्तरों को पुनः कई विस्तृत कार्यकलाप श्रेणियों में उप-विभाजित किया गया है । ये निम्नलिखित हैं :-

(i) आर्थिक कार्यकलाप में कार्यरत है या कार्यरत रहा है (नियोजित) :-
  (क) एक स्व-कार्यरत कामगार के रुप में पारिवारिक उद्यम में कार्य किया (स्व-नियोजित)
  (ख) पारिवारिक उद्यम में एक नियोक्ता के रुप में कार्य किया (स्व-नियोजित)
  (ग) पारिवारिक उद्यम में एक सहायक के रुप में कार्य किया (स्व-नियोजित)
  (घ) नियमित वैतनिक/मजदूरी कर्मचारी के रुप में कार्य किया
  (ड.) सार्वजनिक कार्य में एक अनियत मजदूर के रुप में कार्य किया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीनरेगा) कार्यों को छोड़कर
  (च) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीनरेगा) कार्यों में अनियत मजदूर के रूप में कार्य किया
  (छ) अन्य प्रकार के कार्यों में अनियत मजदूर के रुप में कार्य किया
  (ज) रुग्णता के कारण कार्य नहीं किया हालांकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था (स्व-नियोजित)
  (झ) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया हालांकि पारिवारिक उद्यम में कार्य था (स्व-नियोजित)
  (ञ) रुग्णता के कारण कार्य नहीं किया पर नियमित वैतनिक/मजदूरी पर नियोजित था
  (ट) अन्य कारणों से कार्य नहीं किया पर नियमित वैतनिक/मजदूरी पर नियोजित था

(ii) कार्यरत नहीं रहा पर काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध रहा (बेरोजगार) :
  (क) कार्य की तलाश की
  (ख) तलाश नहीं की पर कार्य हेतु उपलब्ध रहा

(iii) कार्यरत नहीं रहा और न ही कार्य के लिए उपलब्ध (श्रमिक बल में नहीं) :
  (क) शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित रहा
  (ख) घरेलू कार्य करता रहा
  (ग) घरेलू कार्य में लगा रहा और पारिवारिक उपयोग हेतु वस्तुओं के निःशुल्क संग्रहण, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई आदि में कार्यरत रहा

(घ) किराया, पेंशन, प्रेषित धन आदि का प्राप्तकर्त्ता
(ड.) विकलांगता के कारण कार्य करने में असमर्थ
(च) अन्य
(छ) रुग्णता के कारण कार्य नहीं (केवल अनियत मजदूरों के लिए)

1.8.13 'नियोजित', 'अनियोजित', 'श्रम बल', 'श्रम बल के बाहर' के विभिन्न घटकों की व्याख्या आगे की गई हैं :-

(क) कामगार (या नियोजित) : वे व्यक्ति कामगार माने जाते हैं जो संदर्भ अवधि के दौरान किसी कार्यकलाप में लगे हों या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रुग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें अस्थाई अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रुप से अनुपस्थित रहे हों । पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक सहायक को भी एक कामगार माना जाता है । सभी कामगारों के विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी ''कार्यरत या आर्थिक कार्यकलाप में जुड़ा रहा'' के अंतर्गत आनेवाले विस्तृत कार्यकलाप स्तरों में से एक स्तर दिया जायेगा ।

(ख) काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बोरोजगार) : जो व्यक्ति काम की कमी के कारण संदर्भ अवधि के दौरान किसी कार्य में नहीं लग पाये परंतु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्त्तमान शर्तो एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को इच्छुक या उपलब्ध रहे हैं, वे ''काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार)'' माने जाते हैं ।

(ग) श्रम बल (लेबर फोर्स) : श्रम बल के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो संदर्भ अवधि के दौरान कार्यरत (या नियोजित) थे या ''काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'' (या बेरोजगार) थे ।

(घ) श्रम बल के बाहर : वे व्यक्ति जो संदर्भ अवधि के दौरान न तो 'कार्यरत' थे और उसी समय विभिन्न कारणों से न 'काम की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध' ही थे, उन्हें 'श्रमबल के बाहर' माना जाता है । इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं :- विद्यार्थी, घरेलू कार्य से जुड़े व्यक्ति, किराया पाने वाले, पेंशनभोगी, प्रेषित घन पाने वाले, दान पर जीने वाले, दुर्बल या विकलांग व्यक्ति, अल्पवयस्क या बहुत बूढ़े व्यक्ति, वेश्या आदि और रु ग्णता के कारण कार्य न करने वाले अनियत मजदूर ।

1.8.14 ध्यान दें कि कामगारों को फिर *स्व-नियोजित, नियमित वेतन/मजदूरी पाने वाले कर्मचारी* और *अनियत मजदूरी पाननवाले मजदूर* के रुप में श्रेणीबद्ध किया गया है । इन श्रेणियों की व्याख्या आगे के अनुच्छेदों में किया गया है ।

1.8.15 स्व-नियोजित : वे व्यक्ति जो अपना स्वयं का कृषि या गैर-कृषि उद्यम चलाते हैं या जो किसी धंधे या स्व-कार्यरत व्यवसाय में स्वतंत्र रुप से या एक या कुछ साझीदारों के साथ सम्बद्ध हैं वे पारिवारिक उद्यम में स्व-नियोजित माने जाते हैं । स्व-नियोजित की आवश्यक विशेषता यह है कि उन्हें अपना संकार्य करने के लिए *स्वायत्तता* (अर्थात् उत्पादन कैसे, कहाँ और कब किया जाये) और *आर्थिक स्वतंत्रता* (अर्थात् बाजार, संकार्य का पैमाना और धन सम्बंधी) प्राप्त होती है । उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले पारिश्रमिक के दो अभिन्न भाग होते हैं -- उनके श्रम के लिए एक पुरस्कार और उनके उद्यम का लाभ । दूसरे शब्दों में, उनकी पारिश्रमिक का निर्धारण पूर्णतः या मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या लाभ द्वारा किया जाता है ।

स्वनियोजित व्यक्तियों को आगे निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) **स्व-कार्यरत कामगार** : ये स्व-नियोजित व्यक्ति हैं जो अपना उद्यम स्वकार्यरत रुप से या किसी एक या कुछ साझीदारों के साथ मिलकर चलाते हैं और जिन्होंने संदर्भ अवधि के दौरान कुल मिलाकर अपना उद्यम भाड़े के मजदूरों के बिना चलाया हो । तथापि, उनके पास उद्यम के कार्यकलाप में सहयोग के लिए अवैतनिक सहायक हो सकते हैं ।

(ii) **नियोक्ता** : वे स्व-नियोजित व्यक्ति जो स्व-कार्यरत या एक अथवा कुछ साझीदारों के साथ अपना कार्य करते हैं और अपना उद्यम मजदूरों को भाड़े पर लेकर चलाते हैं, वे नियोक्ता कहलाते हैं ।

(iii) **पारिवारिक उद्यम में सहायक (हेल्पर)** : सहायक स्व-नियोजित व्यक्तियों की एक श्रेणी है जो अपने आप को अपने स्वयं के पारिवारिक उद्यम में सम्बद्ध रखते हैं, अपना कार्य पूर्णकालिक या अंशकालिक तौर पर करते हैं और किये गये कार्य के बदले में कोई नियमित वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं । वे पारिवारिक उद्यम को स्वयं नहीं चलाते परन्तु उद्यम चलाने में उसी परिवार के अन्य सम्बद्ध व्यक्ति की मदद करते हैं ।

1.8.16 ऐसे कामगारों की एक कोटि होती है जो अपनी पसंद के स्थान पर, अर्थात् उन्हें नियोजित करने वाले या उनके उत्पादों को बेचने वाले अधिष्ठान के बाहर, कार्य करते हैं । ऐसे कामगारों के लिए सामान्यतः विभिन्न सम्बोधन, जैसे 'गृह कामगार', 'गृह आधारित कामगार' और 'बाहरी कामगार' दिये जाते हैं । इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, ऐसे सभी कामगारों को 'स्व-नियोजित' के रुप में श्रेणीबद्ध किया जायेगा । 'गृह कामगार' को अपना कार्य करने के लिए *स्वायत्तता का कुछ अंश* और *आर्थिक स्वतंत्रता* प्राप्त होती है और उनके कार्यों का प्रत्यक्ष *पर्यवेक्षण* नहीं होता है जैसा कि *कर्मचारियों* के मामले में होता है । अन्य स्व-नियोजित के समान, इन कामगारों को कुछ लागतें उठानी पड़ती हैं, जैसे वे जहाँ कार्य करते हैं उन भवनों का वास्तविक या आरोपित किराया, गरम करने, प्रकाश और पावर, भंडारण या परिवहन आदि पर किये गये व्यय । इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि इनके पास उत्पादन के कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन होते हैं । ध्यान दें कि उत्पादन के लिए *कर्मचारियों* को ऐसे निवेशों की आवश्यकता नहीं होती है ।

1.8.17 विस्तार में कहा जा सकता है कि 'बाहर रखना (putting out)' उत्पादन प्रक्रिया में प्रचलित है जिसके अंतर्गत उत्पादन का एक हिस्सा अर्थात् 'बाहर' रखे हुए का उत्पादन विभिन्न पारिवारिक उद्यमों में (और नियोजक के अधिष्ठान में नहीं) किया जाता है । उदाहरणार्थ, एक बिड़ी निर्माता से आदेश प्राप्त करने वाले बिड़ी कारीगरों को गृह कामगार माना जायेगा, भले ही उन्हें कच्चामाल (पत्ते, मसाला आदि), उपस्कर (कैंची) और उत्पादन के अन्य साधनों की आपूर्ति की जाती हो अथवा नहीं । प्राप्त शुल्क या पारिश्रमिक के दो भाग होते हैं -- उनके श्रम का हिस्सा और उद्यम का लाभ । कुछ मामलों में, भुगतान पीस-दर पर आधारित हो सकता है । इसी प्रकार, एक महिला एक थोकविक्रेता के आदेश पर सिलाई या कढ़ाई का कार्य करती है, अथवा कुछ विशेष इकाई/ठेकेदार/व्यापारी से आदेश पाकर अपने घर पर पापड़ बनाती हैं तो उसे 'गृह कामगार' माना जाता है । दूसरी ओर, यदि वह यह कार्य नियोजक के परिसर में करती है तो उसे *कर्मचारी* माना जायेगा । पुनः यदि वह इस प्रकार के कार्यकलाप किसी बाहरी आदेश पर नहीं बल्कि अपने उत्पादों को स्वयं/अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा लाभ कमाने के लिए बाजार में बेचती है, और साथ ही वह न्यूनाधिक नियमित अधार पर किसी किराये के सहायक को नियोजित नहीं करती है, तो उसे एक स्व-कार्यरत कामगार माना जायेगा ।

1.8.18 नियमित वेतन/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी : दूसरों की कृषि या गैर-कृषि उद्यमों (पारिवारिक और गैर-पारिवारिक दोनों) में काम करने वाले और बदले में नियमित रुप से (कार्य अनुबंध के दैनिक या मीयादी नवीकरण के आधार पर नहीं) वेतन या मजदूरी पाने वाले व्यक्ति नियमित वेतन/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी हैं । इस श्रेणी के अंतर्गत केवल मीयादी मजदूरी पानेवाले ही नहीं बल्कि मजदूरी या वेतन का हिस्सा प्राप्त करने वाले और भुगतान प्राप्त अंशकालिक और पूर्णकालिक प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) भी आते हैं ।

1.8.19 अनियत (कैजुअल) मजदूर : ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य की कृषि या गैर-कृषि उद्यमों (पारिवारिक और गैर-पारिवारिक दोनों) में अनियत रुप से लगे होते हैं और अपने कार्य के बदले दैनिक या मीयादी अनुबंध की शर्तों के अनुसार मजदूरी पाते हैं । प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अनियत मजदूर भी देखे जाते हैं जो

साधारणतः अपने आपको ''लोक निर्माण कार्यों'' में लगाये रखते हैं । 'लोक निर्माण कार्य' की संकल्पना की चर्चा इस अध्याय में आगे की गई है ।

1.8.20 कार्यकलाप स्तर के निर्धारण के विभिन्न रास्ते : सर्वेक्षित व्यक्तियों को, उनके द्वारा कुछ विनिर्दिष्ट संदर्भ अवधियों के दौरान किये गये कार्यकलापों के आधार पर विभिन्न कार्यकलाप श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाना है । इस सर्वेक्षण के लिए तीन संदर्भ अवधियां हैं, जैसे, (i) एक वर्ष, (ii) एक सप्ताह और (iii) संदर्भ सप्ताह का प्रत्येक दिन । इन तीन अवधियों के आधार पर कार्यकलाप स्तर के तीन मापों पर पहुंचा जाता है । इन्हें क्रमशः *प्रायिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर* और *चालू दैनिक स्तर* नाम दिया गया है । वह कार्यकलाप स्तर जो 1 वर्ष की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाला गया है, एक व्यक्ति का *प्रायिक कार्यकलाप स्तर* है । 1 सप्ताह की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाले गये को एक व्यक्ति का *चालू साप्ताहिक स्तर* (cws) तथा 1 दिन की संदर्भ अवधि के आधार पर निकाले गये को एक व्यक्ति का *चालू दैनिक स्तर* (cds) कहा गया है ।

1.8.21 जब व्यक्ति के लिए तीनों प्रकार के प्रमुख कार्यकलाप स्तर अर्थात् 'नियोजित', 'बेरोजगार' और 'श्रम-बल में नहीं' साथ-साथ ज्ञात होते हैं तो उसे एक स्थिति में रखना एक समस्या होती है । ऐसी सम्भाव्यता के मामले में तीन प्रमुख कार्यकलाप स्तरों में से किसी एक के अधीन अनन्य पहचान या तो *अधिक समय मापदंड* या *प्राथमिकता मापदंड* को अपनाते हुए की जायेगी । पहले कहे का उपयोग व्यक्तियों का वर्गीकरण 'प्रायिक कार्यकलाप स्तर' के अधीन और दूसरे का 'चालू कार्यकलाप स्तर' के अधीन करने के लिए किया जाता है । यदि उपरोक्त दो मापदंडों में से एक को अपनाने पर, आर्थिक कार्यकलाप में लगा एक व्यक्ति संदर्भ अवधि के दौरान एक से अधिक आर्थिक कायर्कलाप करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उपयुक्त विस्तृत कार्यकलाप स्तर श्रेणी का सम्बंध उस कार्यकलाप से होगा जिसमें उसने अपेक्षाकृत अधिक समय लगाया है । इसी प्रकार का उपाय गैर-आर्थिक कार्यकलापों के लिए भी किया जायेगा ।

1.8.22 प्रायिक कार्यकलाप स्तर : प्रायिक कार्यकलाप स्तर सम्बंध सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति के कार्यकलाप स्तर से है । व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान जिस कार्यकलाप स्तर में अपेक्षाकृत अधिक समय (अधिक समय मापदंड) बिताया गया, उसे उस व्यक्ति का *प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप स्तर* माना जाता है । एक व्यक्ति के प्रमुख प्रायिक कार्यकलाप के निर्धारण के लिए, सर्वप्रथम उसका श्रेणीकरण **अधिक समय मापदंड के आधार पर** श्रम-बल का है या नहीं के रुप में किया जाता है । इस प्रकार, जो व्यक्ति श्रम बल में नहीं पाये जाते हैं, उन्हें प्रमुख कार्यकलाप स्तर 'न कार्यरत न कार्य हेतु उपलब्ध' प्रदान किया जाना है । उन व्यक्तियों के लिए जो श्रमबल में पाये जाते हैं, प्रमुख कार्यकलाप स्तर 'कार्यरत' या 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में और/या कार्य हेतु उपलब्ध' इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान उन्होंने श्रमबल में अपेक्षाकृत कितना अधिक समय बिताया । इस प्रकार निर्धारित प्रमुख कार्यकलाप स्तर में, एक से अधिक कार्यकलाप करने वाले एक व्यक्ति की विस्तृत कार्यकलाप स्तर श्रेणी का निर्धारण उसके द्वारा बिताये गये अपेक्षाकृत लम्बे समय के आधार पर किया जायेगा ।

1.8.23 गौण आर्थिक कार्यकलाप : एक व्यक्ति, जिसका प्रधान प्रायिक कार्यकलाप स्तर अधिक समय मापदंड के आधार पर निर्धारित कर लिया गया है, ने सर्वेक्षण तिथि से पिछेले 365 दिनों के दौरान हो सकता है **30 दिन या अधिक के लिए** कुछ अन्य आर्थिक कार्यकलाप भी किया हो । वह स्तर, जिसमें इस प्रकार का एक आर्थिक कार्यकलाप सर्वेक्षण तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान किया गया है, उस व्यक्ति का गौण आर्थिक कार्यकलाप स्तर है । अनेक गौण आर्थिक कार्यकलापों के मामले में, उसे प्रमुख कार्यकलाप और स्तर माना जायेगा जिसमें अपेक्षाकृत लम्बा समय बिताया गया है । यह ध्यान रखा जाये कि गौण रुप से काम में रत रहने की स्थिति निम्नलिखित दो परिस्थितियों में हो सकती हैं :-

(i) एक व्यक्ति 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लम्बे समय तक आर्थिक (गैर-आर्थिक कार्यकलाप) में और अपेक्षाकृत एक लघु अवधि, जो 30 दिनों से कम की नहीं होगी, के लिए अन्य आर्थिक कार्यकलाप (किसी भी आर्थिक कार्यकलाप) में लगा हो सकता है;

(ii) एक व्यक्ति मुख्य स्तर में लगभग पूरे वर्ष एक आर्थिक कार्यकलाप (गैर-आर्थिक कार्यकलाप) में लगा हो सकता है और साथ ही वह अपेक्षाकृत कम समय के लिए किसी अन्य आर्थिक कार्यकलाप (किसी भी आर्थिक कार्यकलाप) में **गौण रुप** से लगा हो सकता है । ऐसे मामलों में, चूंकि दोनों कार्यकलाप पूरे वर्ष भर किये जाते हैं और इस प्रकार दोनों कार्यकलापों की अवधि 30 दिनों से अधिक की है, इसलिए अपेक्षाकृत कम समय के लिए किये जाने वाले कार्यकलाप को उस व्यक्ति का गौण कार्यकलाप माना जायेगा ।

1.8.24 चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर : एक व्यक्ति का चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर सर्वेक्षण तिथि से पिछले 7 दिनों के दौरान उस व्यक्ति का कार्यकलाप स्तर है । इसका निर्धारण **एक निश्चित प्राथमिकता-सह-अधिक समय मापदंड** के आधार पर किया जाता है । प्राथमिकता मापदंड के अनुसार, 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध' की अपेक्षा 'कार्यरत' को प्राथमिकता मिलेगी और 'न कार्यरत न कार्य के लिए उपलब्ध' की अपेक्षा 'कार्यरत नहीं पर कार्य की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध' को । *एक व्यक्ति को कार्यरत(या नियोजित)माना जाता है यदि उसने किसी आर्थिक कार्यकलाप को सर्वेक्षण तिथि से पिदले 7 दिनों के दौरान कम से कम एक दिन में कम से कम एक घंटे के लिए किया हो ।* एक व्यक्ति को 'कार्य की तलाश में या कार्य के लिए उपलब्ध*(या बेरोजगार)*' माना जाता है यदि संदर्भ सप्ताह के दौरान उस व्यक्ति द्वारा कोई भी आर्थिक कार्यकलाप नहीं किया गया पर वह उसने कार्य पाने का प्रयत्न किया था या वह संदर्भ सप्ताह के दौरान कार्य के लिए उपलब्ध था यद्यपि उसने इस विचार से सक्रिय रुप से कार्य की तलाश नहीं की कि कार्य उपलब्ध नहीं है । एक व्यक्ति जो संदर्भ सप्ताह के दौरान किसी भी समय न तो कार्यरत रहा न ही कार्य के लिए उपलब्ध रहा, उसे गैर-आर्थिक कार्यकलापों में संलग्न (या श्रमबल में नहीं) माना जाता है । 'प्राथमिकता' मापदंड के आधार पर एक व्यक्ति का प्रमुख चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर मालूम करने के बाद, *यदि वह व्यक्ति अनेक आर्थिक कार्यकलापों में लगा हुआ पाया जाता है तो 'अधिक समय' मापदंड के आधार पर* उसका विस्तृत चालू साप्ताहिक कार्यकलाप स्तर भी निर्धारित कर लिया जाना है ।

1.8.25 चालू दैनिक कार्यकलाप स्तर : जनसंख्या का कार्यकलाप प्रतिरुप, विशेष कर असंगठित क्षेत्र में, ऐसा है कि एक सप्ताह के दौरान और कभी-कभी एक दिन में भी एक व्यक्ति एक से अधिक कार्यकलाप करता हुआ पाया जा सकता है । इसके अलावे, कई व्यक्ति आर्थिक और गैर-आर्थिक कार्यकलापों में एक संदर्भ सप्ताह के किसी एक ही दिन लगे हुए पाये जा सकते हैं । एक व्यक्ति के लिए चालू दैनिक कार्यकलाप स्तर का निर्धारण संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन के उसके कार्यकलाप स्तर के आधार पर **एक प्राथमिकता-सह-अधिक समय मापदंड** (दिन प्रति दिन श्रम समय के वितरण) का उपयोग करके किया जाता है । एक व्यक्ति का चालू दैनिक स्तर निकालने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाये :

- कार्यकलाप स्तर निर्धारित करने के लिए संदर्भ सप्ताह के प्रत्येक दिन को या तो दो 'आधे दिन' या एक 'पूर्ण दिन' के रुप में लिया गया है ।
- एक व्यक्ति पूरे दिन के लिए 'कार्यरत' (नियोजित) माना जाता है यदि उसने उस दिन के दौरान 4 घंटे या अधिक के लिए कार्य किया हुआ है ।
- यदि एक व्यक्ति एक दिन में एक से अधिक आर्थिक कार्यकलापों में 4 घंटे या अधिक के लिए लगा रहा, तो उसे विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में से उन दो आर्थिक कार्यकलापों को प्रदान किया जायेगा, जिन पर उसने संदर्भ दिवस में अपेक्षाकृत अधिक समय बिताया है । ऐसे मामलों में, उन दोनों आर्थिक कार्यकलापों में से प्रत्येक के लिए एक 'आधे दिन' के कार्य पर विचार किया जायेगा (अर्थात् इन दोनों आर्थिक कार्यकलापों में से प्रत्येक के लिए 0.5 प्रगाढ़ता (intensity) दी जायेगी ।)
- यदि एक व्यक्ति ने *1 घंटे या अधिक पर 4 घंटे से कम* कार्य किया है, तो उसे आधे दिन के लिए 'कार्यरत' (नियोजित) माना जायेगा और दिन के दूसरे आधे के लिए उसे यह देखते हुए 'कार्य की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध' (बेरोजगार) या 'न कार्य की तलाश में न कार्य हेतु उपलब्ध' (श्रम बल) माना जायेगा कि वह कार्य की तलाश में/उसके लिए उपलब्ध था या नहीं ।
- यदि एक व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे के लिए भी 'कार्य' में रत नहीं था, पर वह 4 घंटे या अधिक अवधि के लिए कार्य की तलाश में/उपलब्ध था, तो उसे पूरे दिन के लिए 'बेरोजगार' माना जाता है ।

परंतु यदि वह 'कार्य की तलाश् में/उपलब्ध' केवल 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम के लिए था, तो उसे आधे दिन के लिए 'बेरोजगार' और दूसरे आधे के लिए 'श्रमबल में नहीं' माना जाता है ।

➢ एक व्यक्ति जिसके पास आधे दिन के लिए भी कोई 'कार्य' नहीं था और न ही वह 'कार्य' के लिए उपलब्ध ही था, उसे पूरे दिन के लिए 'श्रमबल में नहीं' माना जाता है और उसे उसके द्वारा संदर्भ दिवस के दौरान किये गये कार्यकलाप के आधार पर एक या दो विस्तृत गैर-आर्थिक कार्यकलाप स्तर दिया जाता है ।

ध्यान दिया जाये कि प्रगाढ़ता (intensity) देते समय, उस कार्यकलाप के लिए 1.0 प्रगाढ़ता दी जायेगी जो 'पूर्ण दिवस' किया गया है और 0.5 प्रगाढ़ता उसे दी जायेगी जो 'अर्ध दिवस' किया गया है ।

1.8.26 नाममात्र का कार्य : संदर्भ सप्ताह के दौरान एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1-2 घंटे के लिए किये गये कार्य हेतु उस व्यक्ति के लिए नाममात्र के कार्य सहित एक दिन कहा जायेगा । संदर्भ सप्ताह के दिन-प्रतिदिन के श्रम-समय वितरण में ऐसे एक दिन के कार्य को 'आधे-दिन' का कार्य माना जाता है (और इसे गणना के समय आधी प्रगाढ़ता दी जायेगी) ।

1.8.27 प्रचालन (ऑपरेशन) : यह एक व्यक्ति द्वारा संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्य का एक प्रकार है जैसे, शारीरिक, गैर-शारीरिक, कृषि, गैर-कृषि आदि । किए गए कार्य के अनुरुप कार्यकलाप स्तर और उद्योग के साथ प्रचालन संबंधित होता है । प्रचालन के प्रकार से संबंधित सूचना **केवल ग्रामीण क्षेत्रों और चालू स्तर के संबंध में ही एकत्र** की जाएगी । विभिन्न प्रकार के प्रचालन निम्नलिखित हैं :- जुताई, बुवाई, पौध रोपण, निराई, फसल कटाई और अन्य शारीरिक तथा गैर-शारीरिक प्रचालन । अंतिम दो मामलों में कार्य जिस क्षेत्र में किया गया हो, उसे उद्योग द्वारा दर्शाया जाता है । यह ध्यान रखा जाए कि ''नियमित वैतनिक/मजदूरी प्राप्त कर्मचारी'' यदि छुट्टी में हो, तो उनके लिए ''प्रचालन'' का संबंध उनके कार्य (जिससे वे अस्थायी छुट्टी पर हैं) में उनकी निजी क्रिया से है । उसी प्रकार उनलोगों के लिए जो कि ''स्वनियोजित'' की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हों लेकिन काम रहते हुए भी वे किसी विशेष दिन काम नहीं करते, प्रचालन का संबंध उनके उस कार्य से होगा जिसे वे छुट्टी पर न रहने की दशा में करते ।

1.8.28 शारीरिक कार्य : वह कार्य जिसमें निश्चित रुप से शारीरिक श्रम लगता है, शारीरिक कार्य माना जाता है । तथापि, वे कार्य जिनमें निश्चित रुप से शारीरिक श्रम तो लगता है पर कुछ हद तक समान्य, पेशेवर, वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा भी आवश्यक हो, उसे शारीरिक कार्य नहीं माना जाता है । दूसरी ओर, वे कार्य जिनमें ज्यादा शारीरिक श्रम न लगता हो और साथ ही उसके लिए ज्यादा शैक्षणिक (सामान्य, वैज्ञानिक, तकनीकी या अन्य) पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता न हो उन्हें शारीरिक कार्य माना जायेगा । इस प्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, दंतचिकित्सक, आया आदि शारीरिक कामगार नहीं माने जाते हैं, हालांकि उनके कार्यों में कुछ शारीरिक श्रम भी लगता है । परंतु, चपरासी, चौकीदार, प्रहरी आदि को शारीरिक कामगार माना जाता है हालांकि उनके कार्य में अधिक शारीरिक श्रम नहीं लगता । शारीरिक कामगारों के कुछ उदाहरण हैं : रसोइया, वेटर, भवनों के रखवाल (केयरटेकर), सफाई कर्मचारी, साफ करने वाला और संबंधित कर्मचारी, धोबी, ड्राई क्लीनर और इस्तरी वाला, हेयर ड्रेसर, नाई, ब्युटिशियन, चौकीदार, द्वारपाल, कृषि श्रमिक, रोपाई मजदूर और संबंधित कर्मचारी ।

1.8.29 ग्रामीण श्रम : नकद या वस्तु रुप में *प्राप्त मजदूरी के बदले* कृषि और/या गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वाले औरे *ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले* शरीरिक श्रमिक को ग्रामीण श्रम के रुप में लिया जायेगा (विनिमय श्रमिक को छोड़कर) ।

1.8.30 कृषि श्रम : वह व्यक्ति कृषि में कृषि श्रमिक माना जायेगा जो निम्नलिखित कृषि व्यवसायों में से किसी एक या एक से अधिक में शारीरिक श्रमिक के रूप में लगा हो :

(क) खेती करना ;
(ख) दुग्ध (डेरी) उद्योग ;
(ग) कृषि बागवानी संबंधी पण्यों का उत्पादन ;
(घ) पशुधन, मधुमक्खी या मुर्गी पालना और

(ड) कोई भी कार्य जो एक कृषि फार्म में कृषि कार्य (इसमें वानिकी या लकड़ी संकार्य सहित) के साथ में या आकस्मिक रुप से किया गया हो फार्म उत्पाद की और बाजार हेतु तैयारी और भंडारण या बाजार हेतु सौंपना । पुनः परिवहन के लिए ले जाने का अर्थ केवल परिवहन के प्रथम चरण अर्थात् फार्म से प्रथम निपटान स्थान तक का परिवहन ही है ।

मत्स्य पालन में कार्य करने को कृषि श्रमिक की श्रेणी से **बाहर** रखा गया है ।

1.8.31 मजदूरी प्रदत्त शारीरिक श्रम : एक व्यक्ति जो शारीरिक कार्य करता है और बदले में नकद या वस्तु या कुछ नगद और कुछ वस्तु (विनिमय श्रमिकों को छोड़कर) के रुप में मजदूरी प्राप्त करता है उसे मजदूरी प्राप्त शारीरिक श्रमिक कहा जाता है । वेतन को भी मजदूरी माना जाएगा । एक स्व-नियोजित शारीरिक श्रमिक को मजदूरी प्राप्त शारीरिक श्रमिक **नहीं माना जाता** ।

1.8.32 कृषि : फसल उपजाने से संबंधित सभी कार्यकलाप और संबंधित सहायक कार्यकलापों को कृषि माना जाता है । पेड़, पौधे या फसलों को बागान में या फलोद्यान में उगाना (जैसे रबड़, काजू, नारियल, काली मिर्च, कॉफी, चाय आदि) इस सर्वेक्षण हेतु कृषि कार्यकलाप नहीं माने जायेंगे । सामान्य रुप से, एन.आई.सी. 2008 उप-वर्ग 0111, 0112, 0113, 0115, 0119 और वर्ग 0128 के बीच उप-वर्ग 01281, 01282 आदि के अंतर्गत शामिल कार्यकलाप कृषि माने जाएंगे ।

1.8.33 वास-भूमि : (i) एक परिवार की वास-भूमि की व्याख्या परिवार के निवास गृह से की जाती है जिसमें आंगन, अहाता, बगीचा, आउट-हाउस, पूजा का स्थान, पारिवारिक कब्रगाह, अतिथि गृह, दुकान, पारिवारिक उद्यम चलाने के लिए वर्कशॉप और कार्यालय, तालाबा, कुआं, शौचालय, नालियां और निवास गृह से लगी चारदीवारी शामिल हैं ।
(ii) वास भूमि एक भूखंड का केवल एक हिस्सा हो सकता है । कभी-कभी बागान, फलोद्यान या रोपस्थली वासभूमि से लगी हुई और चारदीवारी के भीतर होने के बावजूद स्पष्टतया एक भिन्न भूखंड पर अवस्थित होती हैं । ऐसे मामलों में, बागान, फलोद्यान या रोपस्थली के अधीन आने वाली भूमि को वासभूमि नहीं माना जायेगा ।

1.8.34 अर्जन : अर्जन उस मजदूरी/वैतनिक आय (कुल अर्जन नहीं) को दर्शाता है जो कि मजदूरी/वैतनिक कर्मचारियों और अनियत मजदूरों द्वारा संदर्भ सप्ताह के दौरान किए गए मजदूरी/ वैतनिक कार्य के बदले प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राप्त या प्राप्तियोग्य मजदूरी/वेतन नकद या वस्तु-रुप में या कुछ भाग नकद और कुछ भाग वस्तु-रुप में हो सकता है । मजदूरियों और वेतनों को दर्ज करने के लिए :

(i) वस्तु-रुप में मजदूरी का मूल्यांकन **वर्तमान खुदरा मूल्य** के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) बोनस (अपेक्षित या प्रदत्त) और अनुलाभों का मूल्यांकन भी खुदरा-मूल्य पर किया जाएगा और उसके संदर्भ सप्ताह के अंश को भी अर्जन में **शामिल** किया जाएगा ।

(iii) सामान्य कार्य घंटों के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले प्राप्त समयोपरिभत्ते को भी शामिल किया जाएगा । यह पहले के दौरों से भिन्न है ।

1.8.35 आर्थिक कार्यकलाप का उद्योग और पेशा : परिवार का प्रत्येक सदस्य जो संदर्भ अवधि के दौरान आर्थिक कार्यकलाप में लगा हुआ है, के लिए आर्थिक कार्यकलाप के उद्योग और पेशा से संबंधित सूचना रोजगार/बेरोजगारी सर्वेक्षण में सामान्य स्तर एप्रोच, चालू दैनिक स्तर एप्रोच, चालू साप्ताहिक स्तर एप्रोच में एकत्रित की जायेगी । आर्थिक कार्यकलाप का वह स्तर जिसमें एक व्यक्ति अपने कार्य के उद्योग में लगा हुआ पाया जाता है, संबंधित पेशा उस व्यक्ति का पेशा है । उद्योग संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 (एन.आई.सी. 2008) का प्रयोग किया जायेगा और पेशा से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पेशा वर्गीकरण-2004 (एन.सी.ओ. 2004) का प्रयोग किया जायेगा ।

1.8.36 पारिवारिक प्रमुख उद्योग और व्यवसाय निर्धारण की प्रक्रिया : परिवार का प्रमुख उद्योग और पेशा निर्धारित करने के लिए जो सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी वह है परिवार के सदस्यों द्वारा, परिवार द्वारा नियोजित और सशुल्क अतिथियों (जो परिवार के साथ रहने और भोजन ग्रहण करने के कारण इसके सामान्य

सदस्य माने जाते हैं) को छोड़कर, सर्वेक्षण तिथि से पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान किये गये आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित सभी व्यवसायों को सूचीबद्ध करना, भले ही ऐसे व्यवसाय सदस्यों द्वारा प्रमुख या गौण (अर्जन के आधार पर) स्तर पर किये गये हों । व्यवसायों की सूची में से वह व्यवसाय परिवार का मुख्य व्यवसाय माना जायेगा जिससे परिवार को सर्वेक्षण की तिथि से पिछले 365 दिनों के दौरान अधिकतम अर्जन प्राप्त हुआ । यह संभव है कि इस प्रकार निर्धारित परिवार का प्रमुख व्यवसाय परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा अलग-अलग उद्योगों में किया गया हो । ऐसे मामलों में, प्रमुख धंधे से संबंधित सभी उद्योगों में से वह उद्योग जिससे अधिकतम अर्जन प्राप्त हुआ, परिवार का प्रमुख उद्योग माना जायेगा । कम ही मामलों में ऐसा होता है कि दो भिन्न धंधों या उद्योग-व्यवसाय समिश्रणों द्वारा समान अर्जन प्राप्त किया गया हो । परम्परानुसार, ऐसे मामलों में सबसे बड़े सदस्य के धंधे या उद्योग धंधे समिश्रण को प्राथमिकता दी जायेगी ।

1.8.37 लोक-निर्माण : इसके अंतर्गत वे कार्यकलाप आते हैं जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित होते हैं और जिनके अधीन स्थानीय विकास कार्य जैसे, सड़कों, बांधों, बंदों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, आदि किये जाते हैं । ये कार्य राहत उपायों के रुप में या निर्धनता उपशमन कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीनरेगा) कार्य, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स.ग्रा.रो.यो.), राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य योजना (एन.एफ.एफ.उब्ल्यू.पी.), आदि के अधीन किये जाते हैं ।

'लोक निर्माण' के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की व्याप्ति को निर्धनता उपशमन कार्यक्रम या राहत उपायों के अधीन उन योजनाओं तक परिसीमित रखा गया है जिनके द्वारा सरकार मजदूरी-रोजगार पैदा करती है । ध्यान दिया जाये कि इन योजनाओं के नाम उस बजट शीर्ष को सूचित करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए निधियां निर्गत की जायेंगी । इन योजनाओं के द्वारा सामान्यतः किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार के होते हैं : जलसंभर (वाटरशेड) विकास, सूखा रोकना, भूमि समतल करना, बाढ़ नियंत्रण, पाईप या तारों को बिछाना, सफाई प्रबंधन, जल संग्रहण, सिंचाई नहरें बनाना, फलोद्यान विकास, सड़क निर्माण, भवन निर्माण/मरम्मत, शिशुसदन चलाना आदि ।

सरकार द्वारा प्रायोजित और प्रचालन में कुछ ऐसी योजनायें हैं, जिन्हें स्व-रोजगार प्रजनन के रुप में जाना जाता है । सरकार की ऐसी कुछ योजनायें हैं - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (पहले की आई.आर.डी.पी. अधीन योजनाओं को इसमें मिला दिया गया है), ग्रामीण रोजगार प्रजनन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, वाल्मिकी अम्बेदकर आवास योजना, आदि । इन योजनाओं द्वारा प्रजनित रोजगार को 'लोक निर्माण' के दायरे के भीतर नहीं माना जायेगा ।

कभी-कभी, सरकार विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ कर सकती है, जैसे त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आदि । ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना विकास होता है न कि निर्धनता उपशमन और रोजगार प्रजनन । इसके अतिरिक्त, ये कार्यक्रम ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के रुप में चलाये जाते हैं । इन कार्यक्रमों, जो ठेकेदारों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं, से उत्पन्न रोजगार को भी 'लोक निर्माण' के क्षेत्र से बाहर रखा गया है । तथापि, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता प्रबंधन, मरुभूमि विकास, बंजर-भूमि विकास आदि से सम्बंधित इसीप्रकार के कार्यकलाप यदि राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा मजदूरी-युक्त रोजगार प्रदान करने के लिए और इसे सम्पादित करने के लिए किसी ठेकेदार को नियोजित किये बगैर किये जाते हैं तो उन्हें 'लोक निर्माण' माना जायेगा ।

उन्हीं व्यक्तियों को 'लोक निर्माण में आकस्मिक श्रमिक' के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा, जिन्होंने ऊपर वर्णित 'लोक निर्माण' में योगदान दिया है । 'लोक कार्यों' और वे कार्य जिन्हें 'लोक कार्य' के रुप में वर्गीकृत नहीं किया जाना है, के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए, 'लोक कार्यों' की कुछ प्रमुख विशेषताओं की पहचान की गई है, जैसे इसका प्राथमिक उद्देश्य मजदूरी युक्त रोजगार उत्पन्न करना, निर्धनता उपशमन है और इन मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ परिणाम रुप में सामुदायिक परिसम्पत्ति सृजित करना है । ऊपर वर्णित कुछ मजदूरी युक्त रोजगार प्रजनन योजनाओं सहित लोक निर्माण की ये विशेषतायें 'लोक निर्माण' की पहचान में सहायक होंगी ।

1.8.38 महात्मा मांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) : महात्मा मांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा), 2005 देश के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के अधिकार के कार्यान्वयन और परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसे जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में विस्तारिक किया गया है । इस अधिनियम के अनुसार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनायी जाती हैं । यह योजना प्रत्येक उस परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रुप से तैयार होते हैं । वयस्क व्यक्ति वह है, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । अकुशल शारीरिक कार्य का अर्थ है, कोई भी शारीरिक कार्य जिसे कोई वयस्क व्यक्ति बगैर किसी विशेष कुशलता/प्रशिक्षण के करने में सक्षम होता है । इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी केन्द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार का कोई विभाग, एक जिला परिषद, पंचायत/ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय निकाय या सरकारी उद्यम या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर-सरकारी संगठन हो सकता है ।

1.8.39 व्यावसायिक प्रशिक्षण : मोटे तौर पर एके व्यावसायिक प्रशिक्षण उस एक प्रशिक्षण को कहा जा सकता है जो एक व्यक्ति को एक विशिष्ट व्यवसाय या पेशे के लिए तैयार करता है । व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को कार्य-जगत् के लिए तैयार करना और उन्हें विभिन्न उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए नियोजनयोग्य बनाना है । इसका उद्देश्य व्यक्तियों को बहुत विशेष क्षेत्रों में आवश्यक कुशलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 'अपने हाथों करके' सार्थक अनुभवन उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उन्हें नियोजन योग्य बनाता है या उनके लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करता है । इस प्रकार व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यक विशेषता यह है कि यह ज्ञान देने की अपेक्षा एक विशेष व्यवसाय या ट्रेड में कुशलता (स्किल) विकसित करने पर ज्यादा जोर देता है । केवल एक कुशलता धारण करना, जो न स्व-नियोजन के लिए अवसर पैदा करता है न ही एक व्यक्ति को नियोजन योग्य बनाता है, को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं माना जायेगा ।

1.8.40 औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण : शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों में होने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण जो एक रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाते हैं और जिनके लिए आगे मान्य प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, को औपचारिक माना जायेगा । परंतु जब व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा न तो एक रचित कार्यक्रम को अपनाया जाता है और न ही प्रशिक्षण के बाद मान्य प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्रियां ही प्रदान की जाती हैं, तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण माना जायेगा । सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की निम्नलिखित विशेषतायें होंगी :

- एक विशेष कौशल के लिए रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री, राज्य/केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य प्रसिद्ध संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।

रचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का तात्पर्य है :

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक नाम होना चाहिए और साथ ही इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या एवं विशेष प्रशिक्षण अवधि होनी चाहिए; और
(ख) इसमें प्रवेश हेतु शिक्षा तथा आयु के रुप में कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए ।

1.8.41 अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण :

(क) पुश्तैनी : कभी-कभी परवर्ती पीढ़ियों द्वारा किसी एक व्यवसाय या व्यापार में सुविज्ञता परिवार के अन्य सदस्यों, सामान्यतः पूर्वजों से, उनके द्वारा वह व्यवसाय करते रहने से क्रमिक जानकारी प्राप्त करके, प्राप्त की जाती है । महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव से प्राप्त सुविज्ञता व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह रोजगार प्राप्त कर सके अथवा स्व-रोजगार द्वारा अपने कार्यकलाप कर सके । किसी के द्वारा ऐसी बाजार योग्य सुविज्ञता प्राप्त करना, जो उसे अपने पीढ़ी-दर-पीढ़ी के व्यापार या व्यवसाय को चलाने के योग्य बनाती है, को भी इस

सर्वेक्षण के लिए यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने वंशागत स्रोतों से 'अनौपचारिक' व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

(ख) स्वयं शिक्षा : जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा बगैर किसी व्यक्ति या संगठन से एक प्रशिक्षण प्राप्त किये एक व्यवसाय या व्यापार में सुविज्ञ हो जाता है तो उसे 'स्वयं शिक्षा' द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ माना जायेगा । उदाहरणस्वरूप, अपने स्वयं के प्रयत्न द्वारा फोटोग्राफी सीखे हुए एक व्यक्ति को 'स्वयं शिक्षा' द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त माना जायेगा ।

(ग) काम पर शिक्षा : रोजगार (वर्तमान और/या पूर्व का) के दौरान एक व्यक्ति नियोक्ता या संगठन द्वारा अनौपचारिक प्रशिक्षण द्वारा या वह जो कार्य कर रहा था उस कार्य प्ररूप को देखकर सुविज्ञता प्राप्त कर लेता है । ऐसे व्यक्ति को 'काम पर शिक्षा' के द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त माना जायेगा । ध्यान रहे कि यदि एक व्यक्ति को उसके नियोजन के दौरान ही नियोक्ता या संगठन द्वारा एक व्यवसाय या व्यापार में औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया है तो उसे 'औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण' प्राप्त माना जायेगा ।

(घ)अन्य : 'अन्य' स्रोत के अंतर्गत वे मामले भी आ सकते हैं जहां एक व्यवसाय या व्यापार के लिए सुविज्ञता पारिवारिक सदस्यों या पूर्वजों की मदद से ही विकसित की गई है पर वह व्यवसाय या व्यापार उसके पूर्वजों के व्यवसाय या व्यापार से भिन्न है । इस प्रकार एक व्यक्ति एक मास्टर दरजी से सिलाई कार्य सीखा हुआ या एक व्यक्ति किताबों की जिल्दसाजी एक छापाखाना से सीख सकता है । इस प्रकार की सभी सुविज्ञताओं को 'अन्य' स्रोतों से प्राप्त अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण माना जायेगा ।

1.8.42 विभिन्न प्रकार के उद्यमों की परिभाषायें :

(i) **मालिकाना :** जब एक व्यक्ति एक उद्यम का एकमात्र स्वामी हो तो वह उद्यम एक मालिकाना उद्यम हैं । स्वयं के उपयोग के लिए अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन, जब एक एकमात्र सदस्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो उसे मालिकाना उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ii) **साझेदारी :** साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है : ''उन व्यक्तियों के बीच में सम्बंध, जो उन सभी के द्वारा या उन सभी के लिए कार्य करने वाले उनमें से एक द्वारा चलाये जाने वाले एक व्यापार से प्राप्त लाभ को बांट लेने के लिए सहमत हैं ।'' स्वामी एक या अधिक उसी परिवार के या अन्य परिवारों के एक साझेदारी आधार पर औपचारिक पंजीकरण सहित या उसके बगैर (जहां उन तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे के बारे में एक अनकहा समझौता होता है) हो सकता है । जब एक ही या भिन्न परिवारों के दो या अधिक सदस्यों द्वारा अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन किया जाता है तो उसे साझेदारी उद्यम माना जाता है । इस प्रकार, परिवारों के एक समूह द्वारा अचल परिसंपत्ति का समुदाय के उपयोग के लिए स्वकार्यरत उत्पादन साझेदारी उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

(iii) **सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम :** एक उद्यम, जो पूर्णतः केन्द्रीय या राज्य सरकारों, अर्ध-सरकार, संस्थानों, स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्डों, नगरपालिकाओं आदि द्वारा स्वामित्वाधीन/चलाया/प्रबंधित होता है, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है । एक उद्यम को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं मानना चाहिए यदि यह सरकार, स्थानीय निकाय आदि द्वारा दिये गये एक ऋण से चलता है ।

(iv) **सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी** : एक सार्वजनिक (पब्लिक) लिमिटेड कम्पनी उसे कहा जाता है जो एक निजी कम्पनी नहीं है । ऐसी सार्वजनिक कम्पनी के असीमित सदस्य हो सकते हैं और यह जनता को अपने शेयर और डिबंचरों की खरीद के लिए आमंत्रित कर सकती है । एक सार्वजनिक कम्पनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात है ।

(v) **प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी :** प्राइवेट कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है जो अपने नियमों के अनुसार :

(क) अपने शेयरों, यदि कोई हो, के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है;
(ख) अपने सदस्यों की संख्या को पचास तक सीमित करती है, जिसमें ये शामिल नहीं होते -

- वे व्यक्ति, जो कंपनी के नियोजन में हैं;

- वे व्यक्ति, जो पूर्व में कंपनी के नियोजन में थे और नियोजन के दौरान सदस्य भी थे और नियोजन के रद्द हो जाने के बाद भी सदस्य बने हुए हैं,

(ग) कम्पनी के किसी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता द्वारा पूर्वक्रय के उपक्रम को निषेध करती है ।

[जब एक कम्पनी में दो या अधिक शेयर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा **संयुक्त रुप से धारण** किये गये हैं, तो इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए उन्हें एक **एकल सदस्य द्वारा** धारित माना जायेगा ।]

(vi) **साहकारी समितियां :** सहकारी समिति वह है जिसका गठन कुछ लोगों के सहयोग से उनके अपने हित के लिए किया जाता है । ये लोग उस समिति के सदस्य कहलाते हैं । इस प्रक्रिया में, सदस्यों के अंशदान/ निवेश से निधि जमा की जाती है और समिति के कार्यकलापों से उत्पन्न लाभ को सदस्यों में बांट दिया जाता है । एक सरकारी एजेंसी के रुप में सरकार स्वयं भी एक पंजीकृत सहकारी समिति का एक सदस्य या शेयरधारक हो सकती है, पर इस तथ्य से, इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, उस समिति को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं माना जा सकता ।

(vii) **न्यास (ट्रस्ट) :** यह एक व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों के एक समूह, अर्थात् न्यासियों, जो सम्पत्ति के वैधानिक स्वामी होते हैं, द्वारा अन्य समूह, अर्थात् लाभग्राहियों के हित में कार्य किया जाता है । न्यासों की स्थापना व्यक्तियों या परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, पेंशन देने, धर्मार्थ संस्था चलाने, दिवालिये की सम्पत्ति को उनके देनदारों के लाभ के लिए परिसमाप्त करने, या न्यास द्वारा अपने निवेशकों के धन से खरीदी गई प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है । न्यास द्वारा धारित परिसम्पत्तियां विधान के अनुसार नियमित की जाती हैं, इनका संचालन लाभग्राहियों के हित में किया जाना चाहिए न कि न्यासियों के लाभ के लिए ।

(viii) **लाभनिरपेक्ष संस्था (NIP)** : लाभनिरपेक्ष संस्थायें वैधानिक या सामाजिक हस्तियां होती हैं जिनकी स्थापना वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, पर इनकी हैसियत इन्हें अपने को स्थापित करने, नियंत्रित करने या वित्त प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए आय, लाभ या अन्य वित्तीय लाभ का एक स्रोत बनने की अनुमति नहीं देती । व्यवहार में, उनके उत्पादक कार्यकलाप या तो अधिक्य या अभाव उत्पन्न करने को बाध्य हैं पर उनके द्वारा उत्पादित आधिक्य को कोई अन्य संस्थागत इकाई ले नहीं सकती है । साझेदारी के नियम, जिनके द्वारा इनकी स्थापना होती है, इस प्रकार बनाये गये होते हैं कि उन्हें नियंत्रित या प्रबंधित करने वाली संस्थागत इकाइयां उनके लाभ या अन्य आय में से कोई हिस्सा नहीं ले सकते ।

(ix) **नियोक्ता परिवार (अर्थात् नौकरानी, चौकीदार, रसोइया आदि को नियोजित करने वाले गैर-सरकारी परिवार)** : वे परिवार जो नौकरानी, चौकीदार, रसोइया, निजी शिक्षक आदि को नौकरी पर रखते हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए वैचारिक रुप से उद्यम माना जायेगा और उन्हें स्वनियोक्ता परिवार- के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

1.8.43 आयुष पर एक विवरणात्मक टिप्पणी :

1.8.43.1 आयुष : आयुष शब्द का प्रत्येक अक्षर चिकित्सा की एक विशिष्ट प्रणाली प्रस्तुत करती है ।

A - आयुर्वेद
Y - योग एवं नेचुरोपैथी
U - यूनानी
S - सिद्धा
H - होमियापैथी

यह प्रणाली भारतीय औषधि और होमियोपैथी (आई.एस.एम. व एच.) प्रणाली भी कही जाती है ।

1.8.43.2 आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी दवाओं को भारत में''देसी दवाइयाँ'' भी कहा जाता है । इन दवाओं में हर्बल दवायें भी शामिल हैं । इन प्रणालियों द्वारा चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को वैद्यजी, वैद्य, सिद्धा वैद्य और हकीम कहते हैं । कभी-कभी लोग इन्हें जड़ी-बूटी वाले वैद्यजी, हकीम जी आदि भी कहते हैं । अतः सर्वेक्षण प्रयोग के लिए, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध (हर्बल दवायें, देसी दवा और जड़ी-बूटियाँ सहित) से संबंधित सूचनाएं एक शीर्षक ''भारतीय औषधि प्रणाली'' के अन्तर्गत एकत्रित किया जायेगा ।

1.8.44 आयुष की परिधि के अन्तर्गत आनेवाली पद्धतियों के कुछ विवरण नीचे दिये गये हैं ।

1.8.44.1 आयुर्वेद

1.8.44.1.1 वैद्यजी/वैद्य द्वारा लिखी गई देसी औषधियाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ कहलाती हैं । आयुर्वेद वेद पर आधारित एक शास्त्रीय औषधि पद्धति है, जो भारत में 5000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई तथा वर्तमान में भारत और कई उप महाद्विपीय देशों में व्यवहार की जा रही है । यह पद्धति रोधात्मक, उपचारात्मक और प्रोत्साहक पहलुओं पर बल प्रदान करती है । रोगोपचार प्रयोग के लिए पौधों का व्यापक तौर पर कुछ धातुओं और खनिज पदार्थों का विशेषकर संसाधित रूपों में इस्तेमाल किया जाता है ।

1.8.44.1.2 भारत में प्रयोग होने वाले कुछ लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधियाँ निम्न हैं :-

(1) खाँसी और सर्दी के लिए; काढ़ा-क्वाथ/कशायम यथा तुलसी पत्र, अदरक, मुलेठी, कालीमिर्च, लवंग, पिपली और मधु आदि का काढ़ा और हर्बल चाय ।
(2) बुखार के लिए; हर्बल जूस, उदाहरणार्थ ऐलोवेरा (द्वारपथ/घीकुमारी) पत्तें, नीम पत्ता और छाल, तुलसी पत्र, गिलोय (गुडुच्च) तने का क्वाथ, चिरयता के जूस ।
(3) पेट और पाचन संबंधी समस्यायें; त्रिफला चूर्ण, हींगवष्टक चूर्ण, लवणभाष्कर चूर्ण, द्राक्षासौर, हींग, जीरा, पुदीना, सेंधानमक, अजवाइन, सूथी (सुखी अदरक) ।
(4) टॉनिक के रूप में (उर्जा के लिए); च्यवनप्राश और अश्वगंधा ।
(5) स्त्री रोग के लिए; सुपारी पाक, अशोकारिष्ट, दशमुलारिष्ट ।
(6) अपाचन के लिए; हींग की गोली ।
(7) कब्ज के लिए; इसबगोल, हर्रे, गुलकंद और त्रिफलाचूर्ण ।
(8) बदन दर्द के लिए; गुग्गुल गोली, नारायण तैल, बाम
(9) जोड़ो में दर्द और सूजन/गठिया; गुगुला की गोली जैसे योग राज गुगुला, हल्दी पाउडर, मेथी बीज, सहजन के फूल और पत्र, लहसुन ।
(10) बच्चों के लिए; बाल टी, मुगली टी, जन्म घुट्टी ।
(11) केश तैल के लिए; भृंगराज तैल, ब्राह्मी ऑवला तैल ।
(12) शरीर के आराम, के उद्देश्य के लिए; थकावट, सामान्य कमजोरी, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, अकड़न के लिए; विभिन्न प्रकार के तेल जैसे तिल का तैल, महानारायण तैल से मालिश ।
(13) छोटे-मोटे चोट के लिए; दुध के साथ हल्दी पाउडर का तैल/घी के साथ चोटिले जगह पर लेप, हरंडी की पत्तियाँ ।
(14) छोटी-मोटी आँखों की समस्याओं के लिए; गुलाब जल
(15) दांत दर्द; लवंग का तैल ।
(16) कान दर्द; लहसुन के साथ तैयार किया गया उष्ण सरसों का तैल ।
(17) मधुमेह के लिए; करेला का जूस, जामुन के बीज का पाउडर, मैथी बीज, हल्दी, आँवला फल, नीम की पत्तियां ।
(18) त्वचा रोग के लिए; नीम के बीज का तैल, कपूर या/और गंधक पाउडर का नारियल या सरसों के तैल के साथ मिश्रण,

1.8.44.1.3 जोड़ों के दर्द और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पंचकर्म मालिश और तैल से शरीर मालिश, आयुर्वेद के बहुत लोकप्रिय उपाय हैं ।

आजकल आयुर्वेदिक औषधियां प्रायः कैपसूल, टेबलेट, सिरप, पाउडर और कई नये रूपों में उपलब्ध हैं ।

1.8.44.2 योग और नेचुरोपैथी :

1.8.44.2.1 योग का संदर्भ भारत में प्रारंभ हुए परम्परागत, भौतिक और मानसिक चिकित्सा पद्धति से है । ''योग'' शब्द संस्कृत शब्द ''यज'' शब्द से आया है जिसका अर्थ है ''एक होना या सम्पूर्ण होना'' है । योग एक व्यक्ति की स्वयं चेतना और सार्विक चेतना का संगम है । यह सिद्धांत और प्रयोग की एक निरोग प्रणाली है । यह श्वास व्यायाम, शारीरिक मुद्रायें और ध्यान का एक संयोग है । जिसे 5000 वर्षों से अधिक से प्रयोग किया जाता रहा है । योगिक व्यायाम वे शारीरिक मुद्रायें हैं जिनकी व्याख्या भौतिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए योग में की गई है । यह शब्द श्वासासन से संबद्ध भी है ।

1.8.44.2.2 आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ लोकप्रिय योगासन निम्न प्रकार है :-

1. मधुमेह, चाप नियंत्रण के लिए/प्राणायाम, शवासन, अर्धमत्स्येन्द्र आसन
2. दर्द के लिए, रक्त संचार को ठीक रखने के लिए योग की विभिन्न शरीर मुद्रायें
3. मनोविकृति गड़बड़ियों के लिए योगिक शिथिलीकरण तकनीकें, क्रियायें जैसे त्रातक
4. पाचन गड़बड़ी के लिए; पवनमुक्तासन, वज्रासन और क्रियायें जैसे धौती, पुंजल, अग्निसार

1.8.44.2.3 नेचुरोपेथी का संदर्भ प्राकृतिक रोगोपचार के प्रयोग द्वारा रोगों का उपचार करना है । यथा प्राकृतिक निरोग प्रकिया में सहायता करने के लिए जलोपचार, रंगोपचार, उपवास उपचार, मिट्टी उपचार, चुंबकीय उपचार और खाद्य उपचार ।

नेचुरोपैथी शास्त्र बगैर शल्यक्रिया के और औषधियों के प्रयोग के बिना इलाज का समर्थन करता है और बीमारियों के उपचार के लिए प्राकृतिक तत्व (वायु, जल, ताप, धूप) और भौतिक उपायों पर बल प्रदान करता है ।

यह एक संकलक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो मरहम-पट्टी और स्वास्थ्य लाभ के लिए शरीर की प्रमुख क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करती है ।

1.8.44.2.4 आम लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कुछ लोकप्रिय नेचुरोपैथी उपचार निम्न प्रकार हैं :-

1. त्वचा रोगों के लिए; मिट्टी स्नान, सुर्य स्नान,
2. दर्द और तनाव के लिए; मालिश
3. पुराने रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप के लिए; जलोपचार जैसे, हिप स्नान, मेरूदंड स्नान, आहार उपचार
4. तीव्र रोग जैसे ज्वर के लिए; उपवास, एनीमा, शीतल पैक, शीतल दवाब,

1.8.44.2.5 कुछ अन्य लोकप्रिय योगासान और नेचुरोपैथी उपचार नीचे सुचीबद्ध किये गये हैं :

1. सत्कर्म (छह सफाई प्रक्रियायें); कपाल भाती, नेती, धौती
2. आसन (मनो-भौतिक मुद्रायें); पदमासन, शवासन
3. प्राणायाम (नियंत्रित और नियमित श्वास क्रिया); नाड़ी शोधन प्रणायाम, शीतली प्रणायाम, भ्रामरी प्राणायाम
4. बंध एवं मुद्रा (स्नायु पेशी बंध और मुद्रायें); जालंधर बंध और उड्यान बंध
5. ध्यान (मेडिटेशन)
6. मिताहार (योग आहार)

1.8.44.3 सिद्ध

1.8.44.3.1 सिद्ध दक्षिण भारत में प्रचालित औषधियों की एक प्राचीन पद्धति है । सिद्ध शब्द तमिल शब्द पूर्णता के लिए प्रयुक्त तमिल शब्द से आया है । जो पूर्णतः एक बौधिक स्तर प्राप्त कर लेते थे उन्हें सिद्ध/सिद्ध साहित्य भाषा में है और इस पद्धति का प्रयोग भारत और भारत के बाहर तमिल बोलने वाले भागों में व्यापक तौर पर किया जाता है । सिद्ध पद्धति अत्यधिक रोगोपचार प्रकृति की है और आयुर्वेद की तरह यह भी पर्याप्त मात्रा

में पौधों के इस्तेमाल की वकालत करती है । जहां साथ-साथ कुछ धातुओं और खनिज पदार्थों को विशेष निर्माण प्रक्रिया के साथ रोगोपचार सुत्रीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

1.8.44.3.2 कुछ लोकप्रिय सिद्ध औषधियाँ निम्न प्रकार हैं :

(1) कुडिनीर
(2) ज्वर के लिए; निलवेम्बु कुडिनीर, तिरिगाडुगु चुर्णम
(3) सर दर्द के साइनसाइटिस के लिए; नीर कोवैय माद्धिरैय (बाहर प्रयोग के लिए)
(4) पेट और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए; इलथी चुर्णम; अष्टाथी चुर्णम, तिरिपाला चुर्णम
(5) टॉनिक के रूप में (शक्ति के लिए); त्रेतनकोटैइ लेग्यम, अम्मुक्करा लेग्यम ।
(6) महिलाओं के लिए (मासिक धर्म समस्या) : वेनपुसानी लेग्यम, वेनपुसानी नेई (घी), कत्राई इलागम ।
(7) बदन दर्द के लिए : अम्मूक्करा चूर्णम, करपुरादी तैलम (बाहरी प्रयोग के लिए), वता केसरी तैलम (बाहरी प्रयोग के लिए)
(8) जोड़ों का दर्द के लिए : पिण्ड तैलम, विज्हा मुट्टी तैलम ।
(9) कब्ज के लिए : तिरिपाला चुर्णम, निलवेगै चुर्णम ।
(10) दस्त के लिए : तैयरचुण्टी चुर्णम ।
(11) बच्चों के लिए : उरै मातिरै, ओमत्तिनेर, वेल्लारी नेई (घी)।
(12) बालों का तेल के लिए : नील भ्रिंगाधी तैलम, कारिसालै तैलम ।
(13) बदन मालिश के लिए : आसै तैलम, वातकेसरी तैलम ।
(14) सर मालिश के लिए : चुक्कु तैलम और अरकु तैलम ।

1.8.44.4 यूनानी

1.8.44.4.1 हकीमों द्वारा लिखी गई देसी दवाईयां यूनानी औषधि कहलाती है । यूनानी औषधि प्रणाली का सूत्रपात यूनानी (ग्रीस) में हुआ है । हिप्पोक्रेट्स और गैलन की शिक्षाओं पर आधारित है जो अरबियों द्वारा एक विस्तृत चिकित्सा प्रणाली में विकसित किया गया । यूनानी प्रणाली में उन सर्वोत्तम समकालीन परंपरागत औषधि प्रणालियों को सम्मिलित किया गया जो मिश्र, सिरिया, इकाक, पर्सिया, भारत, चीन और अन्य मध्य पूर्व देशों में प्रचलित थीं । यूनानी प्रणाली का साहित्य अधिकांशतः अरबी, पारसी और उर्दू भाषाओं में पाया जाता है । रोगोपचार के लिए यूनानी प्रणाली में पौधे, धातुओं और खनिज पदार्थों का विशिष्टिकृत रूपों में उपयोग किया जाता है ।

1.8.44.4.2 कुछ लोकप्रिय यूनानी औषधियां निम्न हैं :

(1) सर्दी और खाँसी के लिए : अदरक, कालीमिर्च, मुलेठी, उनाब से बना जोशंदा (काढ़ा)
(2) पेट दर्द के लिए : अरक सौंफ, अरक अजवाइन
(3) खाँसी के लिए : शरबत जुफ्फा, साउलिन टेबलेट, लॉक-ए-सापिस्टान (लसोदे की चटनी)
(4) चर्म समस्या के लिए (रक्त की शुद्धिकरण) : साफी, खूनसफा, अर्क-ए-शातरा एवं चिराईता ।
(5) सामान्य टॉनिक : हलवा-ए-घीकावर, सिंकारा, रोगन-ए-बादाम ।
(6) मस्तिष्क टॉनिक : खामिरा-ए-गाओज़वान, दीमाघीं ।
(7) यकृत बीमारियाँ (पीलिया) : अर्क-ए-माको, अर्क-ए-कसनी
(8) पाचन समस्यायें : हब्ब-ए-कबीद, जवारिश-ए-जलिनोस
(9) कब्ज : खुर्श-ए-मूलीयाँ, इत्रिफल जमानी
(10) बुखार : शर्बत खाक्सी (खुब कलन), गिलौव, तबाशीर ।

1.8.44.5 सोवा-रिग-पा :

1.8.44.5.1 ''सोवा-रिग-पा'' जिसका उद्भव भारत में हुआ है और जिसे साधारणतया तिब्बत या आमची औषधियों के नाम से जाना जाता है, हिमालय क्षेत्र के कई भागों की पारंपरिक औषधि है । सोवा-रिग-पा (बोध-

की) का अर्थ है ''रोगोपचार का विज्ञान'' और इस औषधियों से चिकित्सा करने वाले को आमची (सब से बेहतर) के नाम से जाना जाता है ।

भारत में लोकप्रिय तौर पर यह चिकित्सा पद्धति लद्दाख और जम्मू व कश्मीर के लद्दाख और पद्दार-पनगै क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश,अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग-कालिंगपोंग (पं.बं.) में और अब पूरे भारत और विदेशों के तिब्बती अधिवासों में व्यवहार में लायी जाती है ।

1.8.44.6 होमियोपौथी

1.8.44.6.1 आम आदमी यह समझता है कि मिठी सफेद गोलियाँ जो छोटे-छोटे ग्लोब्यूल के आकार में दी जाती हैं उनमें होमियोपैथिक औषधियां होती हैं । होमियोपैथी का आविष्कार 200 वर्ष पहले एक जर्मन, चिकित्सक डॉ. सेमुवल हनिमैन द्वारा किया गया, जिन्होंने कई प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि एक पदार्थ जो बीमारी जैसी अवस्था पैदा कर सकता है वह वैसी ही एक स्थिति को निरोग भी कर सकता है । ''होमियोपैथी'' शब्द का अर्थ है ''समान पीड़ा ग्रस्त'' और होमियोपैथी पद्धति ''समान स्थियों का उपचार समान स्थितियों द्वारा'' पर आधारित है ।

1.8.44.6.2 होमियोपैथी औषधी की वह प्रणाली है जिसमें शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा को प्रतिरक्षा उद्दीपित करने के लिए पौधे, खनिज और प्राणी जगत से अत्याधिक तनुकृत खुराकों का व्यवहार किया जाता है । खाने वाली होमियोपैथिक औषधी कई रूपों में उपलब्ध है, जिसमें परम्परागत होमियोपैथिक गोलियाँ, तरल औषधी, टैबलेट (लेक्टोस आधारित) और मदर टिंचर शामिल हैं ।

1.8.44.6.3 एकल उपचार का प्रयोग : होमियोपैथी औषधियाँ सामान्यतः एकल, सरल और अमिश्रित रूप में की जाती हैं । यदि एक रोगी कई बीमारियों से भी ग्रसित होता है, तो भी होमियोपैथिक चिकित्सक उन प्रत्येक बिमारियों के लिए अलग-अलग दवाईयाँ नहीं देते, बल्कि एक बार में एक ही दवा देते हैं, जो रोगी को सम्पूर्ण रूप में फायदा पहुँचाता है ।

1.8.44.6.4 दवाईयों का प्रयोग : होमियोपैथिक दवाईयाँ एक विशेष रूप में तैयार की जाती हैं जिसे ड्रग डयनामइजेशन या पोटेंसिसेशन । पोटेन्टाज़ड होमियोपैथी दवाईयां लेक्टोस (मिठी सफेद गोलियां) से तैयार छोटे-छोटे ग्लोब्यूल में ली जाती है । मद टिंचर, बाहरी प्रयोग के लिए मलहम तथा आईड्रॉप, ईयर ड्रॉप का भी आम तौर पर प्रयोग किया जाता है ।

1.8.44.7 भारतीय औषधी प्रणालियाँ : इसके अन्तर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी और सोवा-रिग-पा दवाईयां आती हैं । इन दवाईयों को भारत में देसी दवाईयां भी कहा जाता है । इन दवाईयों की श्रेणी में हर्बल दवाईयां भी शामिल हैं । इन पद्धतियों द्वारा चिकित्सा करने वालों को वैद्यजी वैद्य, सिद्ध वैद्य और हकीम कहा जाता है । (कभी-कभी लोग जड़ी-बूटी वाले वैद्यजी, हकीमजी आदि भी कहते हैं ।) इस श्रेणी अन्तर्गत घर में बनी दवाईयां और घरेलू नुस्खे, हर्बल दवाईयां (जड़ी-बूटियां या देसी दवा), और स्थानीय वैद्य/हकीम द्वारा दी गई दवाईयां जैसे त्वचा रोग के लिए नीम पत्ता, साधारण खाँसी के लिए तुलसी पत्ता, चोट और अस्थिभंग के लिए हल्दी, खाँसी, सर्दी, गले की समस्या के लिए अदरक, गठिया/जोड़ों के दर्द के लिए लहसुन, सुखी खाँसी के लिए गोलमिर्च और मधु, ऊर्जा के लिए टॉनिक के रूप में अश्वगंधा, च्यवनप्राश, नेत्र सफाई, चेहरे की सफाई के लिए गुलाब जल, अपाचन के लिए सौंफ, पेट दर्द के लिए अजवाइन और हींग भी सम्मिलित हैं ।

1.8.44.8 पारंपरिक दवाईयां : इस पद का प्रयोग उपचारात्मक और निरोधात्मक कृत्यों के लिए किया जाता है । जो कई पीढ़ियों के अनुभवों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों/सम्प्रदायों/जनजातियों/संस्कृतियों में परम्परा का एक भाग है । भारत में इन इलाजों की परिभाषा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध आदि जैसी प्रचीन औषधी प्रणाली में की गई है । कभी-कभी ये परम्परागत रूप में पाई जाती है, और अतः इन्हें पारम्परिक दवाईयों के नाम से जाना जाता है, यद्यपि ये जानी-मानी प्रणाली का एक भाग है ।

1.8.44.9 हर्बल : हमारे देश में बचाव और उपचार के लिए कई घरेलू नुस्खे का प्रयोग किया जाता है जो पौधों के भागों से बनाई जाती है और आमतौर पर उन्हें जड़ी-बूटियां या देसी दवा कहा जाता है । ये पौधा आधारित नुस्खे या जड़ी-बूटियां, यद्यपि या तो आयुर्वेद या यूनानी या सिद्ध औषधी प्रणाली का हिस्सा हैं, परन्तु अज्ञानता के कारण या क्योंकि इनका विश्व स्तर पर प्रयोग किया जाता है, आयुष प्रणालियों के अन्तर्गत नहीं प्रयोग किये जाते ।

1.8.44.10 इन घरेलू नुस्खों में प्रयोग होने वाले पौधों का नाम आयुष प्रणालियों के वर्तमान न्यामक पुस्तकों में वर्णित नहीं हैं । भारत में ऐसे प्रयोग होने वाले 10,000 से अधिक पौधें हैं परन्तु अभी तक केवल कुछ हजार को ही विभिन्न फार्माकोपियाज या नियामक पुस्तकों में समाविष्ठ किया गया है । अतः इस पद का प्रयोग उन नुस्खों/जड़ी-बूटियां के प्रयोग पर डाटा परिभाषित करने या एकत्र करने के लिए किया गया है जो, यद्यपि आयुष के हिस्से हैं, जागरूकता की कमी या अन्य कारणों के चलते आयुष के किसी भी विशिष्ट प्रणाली के अन्तर्गत शामिल/एकत्रित नहीं किये जा सके ।

1.8.45 आयुष पर पुछताछ से संबंधित कुछ अन्य परिभाषायें

1.8.45.1 आयुष इकाई :

आयुष इकाई का अर्थ है आयुष (आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध होमियोपैथी) के अन्तर्गत किसी भी विभाग में उपचार सुविधा प्रदान करने वाले कोई भी स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र/इकाई जैसे कि :

(1) **'अस्पताल'** वे चिकित्सकीय संस्थायें जिनमें उपचार के लिए अन्तरंग रोगियों (अन्तः-रोगी) के रूप में बीमार व्यक्तियों की भर्ती के प्रावधान होते हैं अस्पताल कहे जाते हैं । केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिकायें द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल को सरकारी अस्पताल माना जाता है । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि किसी भी ऐलोपैथिक अस्पताल में आयुष की किसी भी उपचार शाखा के लिए उपचार सुविधा है (उदाहरणार्थ यदि किसी ऐलोपैथिक अस्पताल में आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होमियोपैथी/योग/नेचुरोपैथी की शाखा है), इस मद के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ।

(2) **'औषधालय'** औषधालय वह चिकित्सा केन्द्र/चेम्बर है, जहाँ सामान्यतः अन्तः रोगियों के उपचार की सुविधायें नहीं होती हैं । एक औषधालय वह सार्वजनिक संस्था है जो दवाईयाँ या चिकित्सा साधन प्रदान करती है या अस्पताल, स्कूल या किसी अन्य संस्था का एक दफ्तर है जहां से चिकित्सा आपूर्ती दवाईयां और उपचार प्रदान किये जाते हैं बगैर बेड के अस्पतालों को औषधालय माना जाए । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि किसी भी औषधालय में आयुष की किसी भी उपचार शाखा के लिए उपचार सुविधा है (उदाहरणार्थ यदि किसी औषधालय में आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होमियोपैथी/योग/नेचुरोपैथी की शाखा है), इस मद के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ।

(3) **'प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)'** यह ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच का प्रथम सम्पर्क बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) है । इसमें एक चिकित्सा अधिकारी और अन्य अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी होते हैं । यह सरकार द्वारा चलाई जाती है और सामान्यतः इसमें अंतरंग-रोगी और बाह्य-रोगी चिकित्सा सुविधायें होती हैं । एक प्रा. स्वा. केन्द्र के अधीन 6 से अधिक उप केन्द्र होते हैं और यह मैदानी क्षेत्र की लगभग 30,000 तथा पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 20,000 जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान उपलब्ध करता है । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि किसी भी प्राथमिक सेवा केन्द में आयुष की किसी भी उपचार शाखा के लिए उपचार सुविधा है (उदाहरणार्थ यदि किसी प्राथमिक सेवा केन्द में आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होमियोपैथी/योग/नेचुरोपैथी की शाखा है), इस मद के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ।

(4) **'सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)'** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रें मैदानी क्षेत्र की 1.2 लाख जनसंख्या और पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र की 80,000 जनसंख्या को अपनी सेवायें प्रदान करती हैं । रोगियों को परामर्श के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भेजा जाता है । इसमें चिकित्सा विशेषज्ञ और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी होते हैं तथा इसमें अंतरंग रोगी और बाह्य-रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती हैं ।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुष की किसी भी उपचार शाखा के लिए उपचार सुविधा है (उदाहरणार्थ यदि किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध/होमियोपैथी/योग/नेचुरोपैथी की शाखा है), इस मद के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ।

(5) आयुष स्वास्थ्य केन्द्र (ए.एच.सी.): कुछ राज्य सरकार संस्थाओं में, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध औषधालय को आयुष स्वास्थ्य केन्द्र भी कहा जाता है । साधारण तौर पर इन केन्द्रों में केवल आउटडोर रोगियों की चिकित्सा के लिए एक डॉक्टर, एक भेषजज्ञ (फार्मसिस्ट) और एक अन्य कर्मचारी होते हैं ।

(6) पंचकर्म केन्द्र/सेन्टर : ये वे छोटे अस्पताल हैं जहां पंचकर्म प्रक्रियाएं/आयुर्वेद मालिश आदि किये जाते हैं । पंचकर्म केन्द्र, महिला और पुरुष दोनों ही रोगियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है ।

(7) आयुर्वेद / पंचकर्म अस्पताल : ऐसे कई अस्पताल हैं जो रोगियों को भर्ती करके पंचकर्म/मालिश द्वारा चिकित्सा प्रदान करते हैं । केरल राज्य काफी उच्च कोटि के पंचकर्म अस्पतालों के लिए विख्यात कई प्रकार की मालिश सेंकाई (सेंक देना), कपाल पर तैल डालना (शीरोधार कहते हैं) और पूरे शरीर में औषधीय तैल लगाना मालिश की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं ।

टिप्पणी : यदि कोई आयुष डॉक्टर किसी ऐलोपैथिक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र (अस्पताल/औषधालय/प्रा.स्व.के./सा.स्व.के.) में सप्ताह में एक बार या दो बार बैठता है (परन्तु सभी कार्य दिवसों में नहीं), ऐसे ऐलोपैथिक केन्द्र को इस सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ''आयुष इकाई'' ना माना जाए ।

1.8.45.2 डॉक्टर/वैद्य/हकीम/होमियोपैथ : आयुष के अन्तर्गत किसी भी विभाग में उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सकों को इस पद के अन्तर्गत लिया जायेगा । देश के विभिन्न भागों में आयुष चिकित्सकों को विभिन्न नामों जैसे वैद्य, हकीम, सिद्ध, होमियोपैथ, नेचुरोपैथ, योग गुरू इत्यादि नाम से जाना जाता है ।

1.8.45.3 दवा : आयुष प्रणाली के अन्तर्गत योग और नेचुरोपैथी औषधी रहित प्रणालियां हैं । आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध में कभी-कभी पौधा आधारित दवाईयां रोगियों को दी जाती है । घर में तैयार की गई दवाईयां जैसे काढ़ा, तुलसी, नीम पत्तियां आदि भी दी जाती है । विभिन्न रोगों के लिए कुछ आम प्रकार की दवाईयां प्रत्येक विभाग यथा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के अन्तर्गत वर्णित की गई हैं । होमियोपैथिक दवाईयां जैसे कि परम्परागत होमियोपैथी गोलियां (मिठी सफेद गोलियां), तरल रूप में टैबलेट (लेक्टोस आधारित) और मदर टिंचर सहित कई रूपों में उपलब्ध हैं ।

1.8.45.4 दवा की प्रणाली : यह पद पंजीकृत दवा प्रणालियों से संबंधित है जिनका प्रयोग भारत में उपचारात्मक और/या निरोधात्मक उद्देश्यों से किया जाता है । ये प्रणालियां आयुर्वेद, यूनानी, योग, और नेचुरोपैथी, होमियोपैथी, ऐलोपैथी इत्यादि हैं और ये देश में आयुष विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है ।

1.8.46 आयुष के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की दवा प्रणालियों का एक दूसरे पर छाने के संदर्भ में (ओवरलेप) : यह वर्णन करना आवश्यक है कि भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता होने के कारण एक ही दवा/पौधे को बारम्बार आयुष की विभिन्न प्रणालियों के अन्तर्गत विभिन्न नामों से पुकारा जाता है । व्याख्या करने के लिए एक ही पौधे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में एक आयुर्वेद चिकित्सक (वैध) द्वारा हिन्दी या संस्कृत नाम से तथा एक युनानी चिकित्सक (हकीम) द्वारा यूनानी पद्धति के अन्तर्गत उसके उर्दू नाम से किया जाता है । इसके अतिरिक्त उसी पौधे का इस्तेमाल दक्षिण भारत में सिद्ध औषधी प्रणाली के अन्तर्गत एक सिद्ध चिकित्सक द्वारा उसके तमिल नाम से किया जाता है । अतः एक स्पष्ट दिशा निर्देश बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है जब किसी पौधे के स्वयं प्रयोग को दवा की प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत करना होता है । आयुष प्रणालियों का प्रयोग अत्यधिक संस्कृति और भूगोल आधारित है; तो भी देश के कई भागों में एक साथ आयुष प्रणाली की एक से अधिक प्रणालियां प्रचलन में हैं । अतः आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवा प्रणालियों की एक पक्की सीमायें खींचना बहुत कठिन है, विशेषकर जब यह पौधों के प्रयोग से संबंधित होता है । इसी कारण से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध से संबंधित सूचनायें एक ही शीर्षक यथा ''भारतीय दवा प्रणाली'' के अन्तर्गत एकत्रित किये जाने का

प्रस्ताव किया गया है । तथापि, आयुष के किसी विशेष प्रणाली के एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यदि कोई पौधा या दवा लिखी जाती है, तो इसे आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है । जहां किसी मालिकाना या शास्त्रीय दवाइयों का प्रयोग या तो ओवर-द-काउन्टर दवा या किसी निर्दिष्ट आयुष प्रणाली की पर्ची के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ लेबेल पर या पर्ची पर आयुष प्रणाली के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वह उपचार किस विशिष्ट आयुष प्रणाली का है । फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में प्रयोग की जाने वाली पौधा आधारित दवाईयाँ आवश्यक रूप से भारतीय औषधि प्रणाली (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध या सोवा-रिग्पा) का हिस्सा हैं ।

1.8.47 इस सर्वेक्षण के लिए आयुष प्रणाली के अंतर्गत जो उपचार **शामिल नहीं** हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(1) एक्यूपंक्चर, आरोमाथेरापी, ज्योतिष-विज्ञान, अटलस ओस्थोगोनल, ऑरिक्यूलर थेरापी, ऐलेक्जेन्डर तकनीक, ओटोजेनिक प्रशिक्षण, एन्थ्रोपोसोफिकल दवाइ, ऑटो-यूरिन थेरापी;
(2) ब्रेथवर्क, बयोफीडबैक, बेच फ्लवर रेमिडीस;
(3) सेलुलर थेरापी, चेलेशन थेरापी, केमोथेरापी, चाइनीज (ओरियेन्टल) दवाईयां, क्लोनिक्स, काउंसिलिंग/साइकोथेरापी, कप्पिंग, क्रेनियोसेक्रल थेरापी;
(4) नाच/मूवमेन्ट थेरापी, डेन्टिस्ट्री, डॉवसिंग;
(5) इयर केन्डलिंग, इलैक्ट्रोपैथी;
(6) फेंग शुई, फेलडेनक्रेइस मेथड, फ्लवर एसेन्स;
(7) जेम थेरापी;
(8) होलोट्रॉपिक, हिलियोथेरापी (इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सूर्य के सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग)
(9) किनिसियोलजी;
(10) लिम्फ ड्रेइनेज थेरापी;
(11) मिडवाइफरी/शिशु जन्म सहायता;
(12) नेटिव अमेरिकन हर्बोलोजी, नेटवर्क चिरोप्रेक्टिक;
(13) ओहासियेस्टु, ओरियंटल डायगनोस, ओस्टियोपैथिक दवा;
(14) फिजियोथेरापी, पिरमिड हिलिंग;
(15) रेडाइस्थिसिया, रेडियोनिक्स, रिकन्स्ट्रेक्टिव थेरापी/प्रोलोथेरापी, रिफ्लेक्सोलोजी, रेकी, रोल्फिंग;
(16) शियास्तु, ध्वनी थेरापी;

1.8.48 यह ध्यान रखा जाए कि सौन्दर्य परिचर्या या दैनिक व्यक्तिगत परिचर्या के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ या उपचार तथा खाने को खुशबूदार बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, मुख-ताजगी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ इस सर्वेक्षण की व्याप्ति में शामिल नहीं है ।

सारणी 1 : रा प्र स 66वें दौर के लिए प्रतिदर्श ग्रामों और खंडों का वितरण

राज्य/सं.रा.क्षे.	प्र.च.इयों की संख्या					
	केन्द्रीय प्रतिदर्श			राज्य प्रतिदर्श		
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आंध्रप्रदेश	864	492	372	1728	984	744
अरुणाचल प्रदेश	216	140	76	216	140	76
असम	432	332	100	432	332	100
बिहार	576	416	160	576	416	160
छत्तीसगढ़	280	188	92	280	188	92
गोआ	56	20	36	56	20	36
गुजरात	432	216	216	432	216	216
हरियाणा	328	180	148	328	180	148
हिमाचल प्रदेश	256	208	48	256	208	48
जम्मू व कश्मीर	432	260	172	864	520	344
झारखंड	344	220	124	344	220	124
कर्नाटक	512	256	256	512	256	256
केरल	560	328	232	840	492	348
मध्य प्रदेश	592	344	248	592	344	248
महाराष्ट्र	1008	504	504	1260	504	756
मणिपुर	320	172	148	640	344	296
मेघालय	160	108	52	160	108	52
मिजोरम	192	80	112	192	80	112
नागालैंड	128	88	40	208	88	120
ओड़िसा	504	372	132	504	372	132
पंजाब	392	196	196	392	196	196
राजस्थान	520	324	196	520	324	196
सिक्किम	96	76	20	96	76	20
तमिलनाडु	832	416	416	832	416	416
त्रिपुरा	232	164	68	232	164	68
उत्तर प्रदेश	1128	740	388	1128	740	388
उत्तरांचल	224	132	92	224	132	92
पश्चिम बंगाल	792	148	344	792	448	344
अं. व नि. द्वीप समूह	72	36	36	0	0	0
चंडीगढ़	40	8	32	0	0	0
दादर और नागर हवेली	24	12	12	0	0	0
दमन और दीव	16	8	8	16	8	8
दिल्ली	128	8	120	256	16	240
लक्षद्वीप	24	8	16	0	0	0
पोंडिचेरी	72	16	56	72	16	56
सम्पूर्ण भारत	12784	7516	5268	14980	8548	6432

नोट : वास्तविक प्रतिदर्श चयन कार्य के समय आबंटन में गौण बदलाव आवश्यक हो सकता है ।

*****